[2019] 7 एस. सी. आर. 522

ससंग्योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड।

वी.

भारत का राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण (एनएचएआई)

(2019 की सिविल अपील संख्या 4779)

08 मई, 2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 34 (2) (ख) (ii),

34 (2) (क) (iii)-प्रत्यर्थी ने चार के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कीं।

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर लेन बाईपास

- अपीलार्थी की बोली स्वीकार कर ली गई-चार के लिए मूल्य समायोजन

अनुबंध के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले घटक अर्थात सीमेंट, इस्पात, संयंत्र

और मशीनरी, और अन्य स्थानीय सामग्रियों की गणना इस प्रकार की जानी थी

अनुबंध के उपखंड 70.3 में दिए गए प्रति सूत्र-मूल्य

थोक का उपयोग करके अपीलार्थी को समायोजन का भुगतान किया जा रहा था

औद्योगिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

विकास, जो वर्षों के बाद हुआ 1993-94 = 100 (पुरानी श्रृंखला)

- हालांकि, मंत्रालय ने डब्ल्यू. पी. आई. का प्रकाशन बंद कर दिया है

पुरानी श्रृंखला के लिए और डब्ल्यूपीआई श्रृंखला 2004-05 = 100 (नई श्रृंखला) के तहत सूचकांकों को प्रकाशित करना शुरू किया-दोनों सूचकांकों सी और सी के रूप में

0

गणना के लिए नई श्रृंखला के तहत अपीलार्थी के लिए उपलब्ध थे

मूल्य समायोजन, अपीलार्थी ने तदनुसार बिल उठाए -

15.02.13 , प्रत्यर्थी ने एक नीति परिपत्र जारी किया जिसमें एक नया

सूचकांकों को निर्धारित करने के लिए सूत्र का उपयोग यह कहते हुए किया गया था कि

जोड़ने वाला कारक प्रदान करना होगा जिसके द्वारा पुरानी श्रृंखला नई श्रृंखला से जुड़ा था- अपीलार्थी ने परिपत्र को चुनौती दी

अंततः, तीन सदस्यों से मिलकर बना मध्यस्थ न्यायाधिकरण

बहुमत पुरस्कार ने माना कि परिपत्र को लागू किया जा सकता है क्योंकि यह था

संविदात्मक शर्तों के भीतर-याचिका यू / धारा 34 अपीलार्थी द्वारा दायर की गई

उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत-अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी ने अनुरोध किया कि

एस. 34 (2) (ख) (ii) आकर्षित किया गया था क्योंकि पुरस्कार के साथ संघर्ष था

भारत की सार्वजनिक नीति और वह। 34 (2) (क) (iii) भी आकर्षित होगा।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया-आयोजितः सरकार

दिशानिर्देश जिन्हें बहुमत द्वारा संदर्भित और उन पर भरोसा किया गया था

जोड़ने वाले कारक पर पहुंचने के लिए पुरस्कार पहले कभी सबूत में नहीं थे

न्यायाधिकरण-न्यायाधिकरण ने स्वयं उक्त दिशानिर्देशों पर भरोसा किया

522 सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

यह कहते हुए कि वे एक निश्चित वेबसाइट पर पाए जाने हैं-इस मामले में, अपीलकर्ता सीधे प्रभावित होगा, उन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता या व्याख्या पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस प्रकार, बहुमत पुरस्कार यू/को अलग रखा जाता है। धारा 34 (2) (ए) (iii)-इसके अलावा, क्रम में

एक जोड़ने वाले कारक को लागू करने के लिए, एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से जारी एक परिपत्र, संभवतः दूसरे पक्ष को उस दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समझौते के लिए बाध्य नहीं कर सकता है-वास्तव में, परिपत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है

लागू नहीं किया जा सकता-बहुमत पुरस्कार ने उक्त एकतरफा परिपत्र को लागू करके और एक को प्रतिस्थापित करके पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया एक अन्य सूत्र डी हॉर्स द्वारा समझौते के तहत व्यवहार्य सूत्र

इस प्रकार, न्याय का एक मौलिक सिद्धांत था

समझौता उल्लङ्घन-इस तरह का आचरण इसके विपरीत होगा

इस देश में न्याय के मौलिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है-हालाँकि, यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसा कि वर्तमान मामले में है-एकल न्यायाधीश और न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय।

उच्च न्यायालय, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, यू/आर्ट शक्ति का आह्वान करते हुए, एक तरफ रख दिया जाता है-नतीजतन, बहुमत पुरस्कार भी अलग कर दिया जाता है। 142 भारत के संविधान के अनुसार, अल्पसंख्यक पुरस्कार को बरकरार रखा गया है-यह पुरस्कार, ब्याज के साथ अब दोनों पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

प्रवर्तन) अधिनियम, 1961। 7 - भारत का संविधान-कला। 142

-

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून Art.26।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 34-अलग करना

"भारत की सार्वजनिक नीति"-कानून संशोधन अधिनियम, 2015-के साथ टकराव में एक मध्यस्थता पुरस्कार आयोजित किया गयाः " भारत की सार्वजनिक नीति ", चाहे वह एस में निहित हो। 34 या एस। 48 1996 के अधिनियम का अब अर्थ होगा

" भारतीय कानून की मौलिक नीति "जैसा कि पैराग्राफ 18 में समझाया गया है

और एसोसिएट बिल्डर्स मामले की 27 यानी भारतीय कानून की मौलिक नीति को "रेनुसागर" समझ में बदल दिया जाएगा। इस अभिव्यक्ति का-पश्चिमी गेको मामले में बनाए गए वाक्यांश "भारत की सार्वजनिक नीति" का विस्तार समाप्त कर दिया गया है।

पश्चिमी गेको जैसा कि एसोसिएट के पैराग्राफ 28 और 29 में समझाया गया है

बिल्डर, अब हस्तक्षेप [2019] 7 एस. सी. आर. की आड़ में प्राप्त नहीं करेंगे।

इस आधार पर एक निर्णय के साथ कि मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, न्यायालय का हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसे संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है-हालाँकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि एस. एस. में निहित है। 18 और 1996 के अधिनियम के 34 (2) (ए) (iii) किसी पुरस्कार को चुनौती देने के आधार बने हुए हैं।

जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स-आर्बिट्रेशन के पैराग्राफ 30 में निहित है और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015।

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015

इसकी प्रयोज्यता-आयोजितः धारा 34, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल एस पर लागू होगी। 34 इस तथ्य की परवाह किए बिना कि मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से पहले शुरू हो गई हो-मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996। 34 .

क़ानूनों की व्याख्या-स्पष्टीकरण के माध्यम से संशोधन

- पूर्वव्यापी या संभावित-आयोजितः में किया गया संशोधन

स्पष्टीकरण 1 और 2 से एस। 34 (2) (ख) (ii) किसी भी संदेह से बचने के लिए बनाए गए हैं-सिद्धांत रूप में भी, यह संशोधन का सार है जिसे रूप के बजाय देखा जाना चाहिए। इसलिए, उन मामलों में भी जहां संदेह से बचने के लिए, संशोधन के माध्यम से कुछ स्पष्ट किया जाता है, ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है

पूर्वव्यापी यदि पहले के कानून को काफी हद तक बदल दिया गया है

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-स्पष्टीकरण 1 और 2 से एस। 34 (2) (ख) (ii)।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ "भारत की सार्वजनिक नीति"-अर्थ

बिल्डर-स्पष्टीकरण 2 से एस। 34 (2) (ख) (ii) और स्पष्टीकरण 2 से एस. 48 (2) (ख) (ii) संशोधन अधिनियम द्वारा केवल इसलिए जोड़ा गया था ताकि पश्चिमी गेको मामला, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स में समझा गया है, और पैराग्राफ

सुलह अधिनियम, 1996-स्पष्टीकरण 2 से एस। 34 (2) (ख) (ii) और स्पष्टीकरण 2 से एस। 48 (2) (ख) (ii) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 (2 ए)-"पेटेंट अवैधता"-आयोजितः जहाँ तक भारत में दिए जाने वाले घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, वे हैं 'सैंग्योंग इंग'।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

संबंधित, एक अतिरिक्त आधार अब यू/सब-एस उपलब्ध है। (2 ए), एस में जोड़ा गया। 34 संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा-पुरस्कार के चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है, लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है-यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर भटकने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो 1996 के अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगा-एक निर्णय जो विकृत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 31 और 32 में समझा गया है, जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती का आधार नहीं है, निश्चित रूप से एक पेटेंट के बराबर होगा।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 28 (3) , 34 (2 ए) आयोजितः एस में किया गया परिवर्तन। 28 (3) सहायक बिल्डरों के मामले में अनुच्छेद 42.3 से 45 में जो कहा गया है, संशोधन अधिनियम वास्तव में उसका अनुसरण करता है।

अर्थात्, कि एक अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करने के लिए है, जब तक कि मध्यस्थ का अर्थ नहीं है

इस तरह से अनुबंध करें कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति नहीं करेगा; कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है

- इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध और सौदों से बाहर भटकता है

उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों के साथ, वह अधिकार क्षेत्र की एक त्रुटि करता है-चुनौती का यह आधार अब नए आधार के भीतर आएगा। धारा 34 (2 ए)-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम,

2015 . मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 34 (2) (a) (iii) और ss। 18 , 24 (3) , 26 – आयोजित किया गयाः एसएस। 18 , 24 (3) और 26 में उल्लिखित चुनौती के आधार में क्या निहित है, इसके लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं।

एस। 34 (2) (ए) (iii)-एस के तहत। 34 (2) (क) (iii) मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के आधारों में से एक यह है कि कोई पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इसका मामला-जहां न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे सामग्री ली जाती है, जिस पर पक्षों को टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिला है, तो आधार यू / धारा 34 (2) (ए) (iii) बनाई जाएगी।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 (2) (ए) (iv) "मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना"-मध्यस्थता निर्णय को चुनौती-आयोजितः जहाँ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक पुरस्कार प्रदान किया है जो निर्णय करता है

मध्यस्थता समझौते या [2019] 7 एस. सी. आर. के दायरे से बाहर के मामले।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को संदर्भित विवादों से परे, यह कहा जा सकता है कि माध्यस्थम निर्णय ने मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय लिए थे-एस से संबंधित पिछले दरवाजे के आधारों द्वारा लाने के लिए। 28 (3) 1996 के अधिनियम के मामले मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होने के लिए धारा 34 (2) (ए) (iv) अनुज्ञेय नहीं होगी क्योंकि इस आधार का संक्षिप्त रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसलिए

समझा जाता है, केवल उन मामलों को संदर्भित करना चाहिए जो इससे परे हैं

मध्यस्थता समझौता या मध्यस्थता के संदर्भ से परे

न्यायाधिकरण।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ" का अर्थः "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" की अभिव्यक्ति का उल्लेख स्पष्टीकरण 1 से उपखंड (iii) से लेकर एस तक में मिलता है। 34 (2) (ख)-यहाँ, जिसका उल्लेख किया गया है, वह है, मूल रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से, कुछ न्याय का मूल सिद्धांत जिसका उल्लंघन किया गया है, और

जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-उपखंड (iii) का स्पष्टीकरण

एस। 34 (2) (बी)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः मध्यस्थता और सुलह की प्रयोज्यता

(संशोधन) अधिनियम, 2015

1.1 चूंकि वर्तमान मामले में धारा 34, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 याचिका दिनांकित है 30.07.2016, एक

इस मामले में मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा के मापदंडों की प्रयोज्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होगा। अधिक

विशेष रूप से, मध्यस्थता द्वारा आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं

और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 से प्रभावी

23.10.2015- विशेष रूप से, "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार पर

मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के लिए। सवाल यह उठता है कि क्या धारा 34 में किए गए संशोधन इन पर लागू होते हैं -

मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए धारा 34 के तहत दायर आवेदन

34 (2 ए)। असंगत स्थिति के अलावा जो तब उत्पन्न होगी जब धारा को टुकड़ों में लागू किया जाना था, अर्थात्, स्पष्टीकरण 1 और 2 का पूर्वव्यापी प्रभाव होना था,

केवल संदेहों को दूर करने के लिए, जबकि उप-धारा (2 ए) को अंग्रेजी भाषा में संवाद करना होगा।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

कानून में बुनियादी बदलाव किए गए हैं। इसका विस्तार ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड में "भारत की सार्वजनिक नीति" का। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705 ["सॉ पाइप्स"] और ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड, (2014) 9 एस. सी. सी. 263 ["वेस्टर्न गेको"] को समाप्त कर दिया गया है, और अंतर्निहित अपवादों के साथ "पेटेंट अवैधता" का एक नया आधार पेश किया गया है। इसे देखते हुए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 34, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल धारा 34 के उन आवेदनों पर लागू होगी जो 23.10.2015 पर या उसके बाद न्यायालय में किए गए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से पहले शुरू हो गई होगी। [पारस 10-12] [542-A-C; 544-G-H; 545-A-B; F-H]

संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा किए गए परिवर्तन

1.2 क्या "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार का उपयोग धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को अलग करने के लिए किया जाता है, या मान्यता से इनकार करने के लिए किया जाता है

और धारा 48, धारा 34 (2) (बी) के तहत एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का अर्थ धारा 48 (2) (बी) के समान ही लगाया जाना चाहिए था। इस न्यायालय ने सॉ पाइप्स में एक और आधार जोड़ा, जिसका नाम है, "पेटेंट अवैधता" के तीन आधार जिनका उल्लेख रेनुसागर में किया गया है ताकि इसके तहत एक पुरस्कार को अलग रखा जा सके।

1996 के अधिनियम की धारा 34। वाक्यांश का एक और विस्तार

" 1996 के अधिनियम की धारा 34 में निहित भारत की सार्वजनिक नीति पश्चिमी गेको में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले द्वारा थी, जिसे एसोसिएट बिल्डर्स में समझाया गया था। [पारस 13,15 और 17] [548-सी-डी; 549-डी] 1.3 "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति, चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब "भारतीय कानून की मौलिक नीति" का अर्थ होगा जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 18 और 27 में समझाया गया है, यानी भारतीय कानून की मौलिक नीति को इस अभिव्यक्ति की "रेनुसागर" समझ में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि पश्चिमी गेको विस्तार को समाप्त कर दिया गया है। संक्षेप में, पश्चिमी गेको, [2019] 7 एस. सी. आर. के रूप में।

एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 28 और 29 में समझाया गया है, अब इस आधार पर एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं होगा कि मध्यस्थ ने एक न्यायिक आदेश को नहीं अपनाया है।

30 एसोसिएट बिल्डरों का। हस्तक्षेप का आधार जहां तक "भारत के हित" से संबंधित है, तब से हटा दिया गया है, और इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार है कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है अब इसे "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ संघर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए। यह फिर से एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 36 से 39 के अनुरूप होगा, क्योंकि यह केवल ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार हैं जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं जिन्हें इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अब पहला अर्थ यह है कि एक घरेलू पुरस्कार भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 18 और 27 में समझा गया है, या दूसरा, कि ऐसा पुरस्कार न्याय या नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ है जैसा कि इसमें समझा गया है।

एसोसिएट बिल्डर्स में समझा गया, और पैराग्राफ 28 और 29 में विशेष रूप से, अब समाप्त कर दिया गया है। [पारस 23-25] [567-B-H]

1.3 जहाँ तक भारत में किए गए घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, अब उप-धारा (2 ए) के तहत एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है।

संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ा गया। यहाँ, पुरस्कार के चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, जिसे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से संबंधित किसी क़ानून का उल्लंघन, इसके द्वारा नहीं लाया जा सकता है। जब पेटेंट अवैधता के आधार पर एक पुरस्कार को अलग करने की बात आती है तो पीछे का दरवाजा। दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि री सैंग्योंग इंग।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

साक्ष्य का मूल्यांकन, जो कि एक अपीलीय अदालत को करने की अनुमति है, को पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है जो पुरस्कार के सामने दिखाई देता है। एसोसिएट बिल्डरों का अनुच्छेद 42.1, अर्थात्, केवल इसका उल्लंघन है

हालाँकि, बिल्डर बने रहेंगे, क्योंकि यदि कोई मध्यस्थ किसी निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और 1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है, तो यह निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा। संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 (3) में किया गया परिवर्तन वास्तव में अनुच्छेद 42.3 से 45 में बताए गए परिवर्तन का अनुसरण करता है। सहयोगी बिल्डर, अर्थात्, कि एक अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है, जब तक कि

मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से समझता है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटकता है और उन मामलों से निपटता है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। चुनौती का यह आधार अब धारा 34 (2 ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर आएगा। [पारस 26-29] [568-A-F]

1.4 एक निर्णय जो विकृत है, जैसा कि इसमें समझा गया है

एसोसिएट बिल्डर्स के अनुच्छेद 31 और 32, जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के रूप में दिखाई देगा। पुरस्कार। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है

विकृत और पेटेंट के आधार पर अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी अवैधता। इसके अतिरिक्त, पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों का समर्थन भी किसी भी साक्ष्य के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होगा क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा। [पैरा 30] [568-जी-एच; 569-ए]

धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत चुनौती का आधार

1.5 धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत, मध्यस्थता पुरस्कार की चुनौती का एक आधार यह है कि एक पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

उसका मामला। धारा 34 (2) (ए) (iii) के महत्व को समझने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 18 को भी देखा जाना चाहिए। धारा 24 (3) एक [2019] 7 एस. सी. आर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 24 (3) का शाब्दिक पुनरुत्पादन। इसी तरह, धारा 26 (1) और (2) UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 26 का शाब्दिक पुनरुत्पादन है। भारतीय संसद द्वारा 1996 के अधिनियम को लागू करने में धारा 26 की उप-धारा (3) को जोड़ा गया है। धारा 34 (2) (ए) (iii) में उल्लिखित चुनौती के आधार में क्या निहित है, इसके लिए धारा 18,24 (3) और 26 महत्वपूर्ण संकेत हैं। धारा 18 के तहत, प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना है। उसका मामला। धारा 24 (3) के तहत, एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रदान किए गए सभी बयान, दस्तावेज या अन्य जानकारी

दूसरे पक्ष को सूचित किया गया, और कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट या

दस्तावेज़ जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना बनाने में निर्भर करता है

निर्णय पक्षकारों को सूचित किया जाएगा। धारा 26 इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जब किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है, तो उक्त रिपोर्ट और विशेषज्ञ के कब्जे में सभी दस्तावेज, सामान या अन्य संपत्ति, जिसके साथ उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदान किया गया था, पहले किसी भी पक्ष को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो इन चीजों के लिए अनुरोध करता है।

1.6 एक पक्ष के अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण, इस विषय पर मानक पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है कि जहां न्यायाधिकरण द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे सामग्री ली जाती है, जिस पर पक्षों को टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिला है, वहां धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत आधार बनाया जाएगा। [पैरा 37] [577-बी]

धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत चुनौती का आधार

1.7 जहाँ तक इस बचाव का संबंध है, इस विषय पर मानक पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है कि अभिव्यक्ति "प्रस्तुत करना" मध्यस्थता "या तो स्वयं मध्यस्थता समझौते को संदर्भित करता है, या

मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए विवादों के लिए, और जब तक उठाए गए विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में हैं या मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए विवाद हैं, उन्हें नहीं कहा जा सकता है ऐसे विवाद जिन पर या तो विचार नहीं किया जाता है या जो मध्यस्थता समझौते के बाहर आते हैं। अभिव्यक्ति "SANGYONG ENG को प्रस्तुत करना।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

मध्यस्थता 1996 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में होती है। इस प्रकार, धारा 28 (1) (ए) के तहत, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण "... मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का निर्णय करेगा।" 1996 के अधिनियम की धारा 43 (3) "... भविष्य में प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते" को संदर्भित करती है।

मध्यस्थता के लिए विवाद। " इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जहां मामले, हालांकि सख्ती से मुद्दे में नहीं हैं, मुद्दे में मामलों से जुड़े हैं, उन्हें आसानी से ऐसे मामले नहीं माना जाएगा जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर या बाहर माना जा सकता है। [पैरा 39] [581-ई-एच]

1.8 जहाँ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो या तो मध्यस्थता के दायरे से परे मामलों का निर्णय करता है।

जैसा कि प्रवीण एंटरप्राइजेज में समझा गया है, समझौता या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित विवादों से परे, मध्यस्थता पुरस्कार को दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है। मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना। अनुबंध की गलत व्याख्या और इसके परिणामस्वरूप "अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों" की आड़ में, यह कहना संभव नहीं है कि मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होगा यदि अन्यथा उपरोक्त कहा गया है।

गलत व्याख्या (जिसमें शर्तों से परे जाना शामिल होगा)

), के बारे में कहा जा सकता है कि मध्यस्थता समझौते के भीतर "विवादों" के रूप में उचित रूप से समझा गया था, या जिन्हें मध्यस्थों के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था जैसा कि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समझा गया था। यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर भटकने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो 1996 के अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) से संबंधित पिछले दरवाजे के आधार को दायरे से बाहर के मामलों में लाना।

धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इस आधार को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और इस प्रकार से, केवल उन मामलों को संदर्भित करना चाहिए जो मध्यस्थता समझौते से परे हैं या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ से परे हैं। [पारस 42,43] [598-एच; 599-ए-ई]

न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ

1.9 "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ" अभिव्यक्ति का उल्लेख धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (iii) के स्पष्टीकरण 1 में मिलता है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यहाँ फिर से, जिसका उल्लेख किया गया है, वह है, मूल रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से,

न्याय के कुछ मौलिक सिद्धांत जिनका उल्लंघन किया गया है, और जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। जोड़ कारक पर पहुंचने के लिए बहुमत पुरस्कार द्वारा जिन सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लेख किया गया था और उन पर दृढ़ता से भरोसा किया गया था, वे कभी भी नहीं थे

न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य। वास्तव में, न्यायाधिकरण ने भरोसा किया

उक्त दिशानिर्देश अपने आप में बताते हैं और कहते हैं कि वे एक निश्चित वेबसाइट पर पाए जाते हैं। ये दिशानिर्देश वास्तव में कभी नहीं थे,

मध्यस्थता कार्यवाहियों में प्रकट किया गया। अपीलार्थी सीधे तौर पर प्रभावित होगा क्योंकि वह अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ होगा, उन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता या व्याख्या पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अपीलार्थी इस तर्क पर पूर्वाग्रह के बिना तर्क दे सकता था कि नई श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए तीन तरीकों में से दूसरी या तीसरी विधि पहली विधि से बेहतर होगी, जिसे बहुमत पुरस्कार ने अपने दम पर लागू किया है। इस कारण से, धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत बहुमत पुरस्कार को अलग रखने की आवश्यकता है। [पारस 44-46] [599-E-F; 604-B-F]

1.10 जहाँ तक यह तर्क है कि सहमति के बिना पक्षों के लिए बहुमत पुरस्कार द्वारा एक नया अनुबंध किया गया था।

अपीलार्थी का, समझौते के बाहर एक सूत्र लागू करके, दिनांकित 15.02.2013 परिपत्र के अनुसार, जो स्वयं नहीं हो सकता था

अपीलार्थी की सहमति के बिना लागू किया गया, यह आधार धारा के तहत है 34 (2) (क) (iv) उपलब्ध नहीं होगा। अपीलार्थी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि जो निर्धारित किया गया था, उसके बाहर सूत्र को लागू करके एक नया अनुबंध किया जा रहा था, जिसका उत्तर प्रतिवादी द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पुराने सूत्र को एक जोड़ने वाले कारक के बिना लागू करना संभव नहीं होगा जिसे पेश करना होगा। यह देखते हुए कि पक्षकार इस मुद्दे पर थे, यह विवाद कि क्या जोड़ने का कारक लागू होता है, दिनांकित परिपत्र 15.02.2013 के लिए धन्यवाद, स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो पक्षों द्वारा उठाया गया है और तर्क दिया गया है, और निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मध्यस्थता खंड या मध्यस्थता के संदर्भ के भीतर आता है जो पक्षों को नियंत्रित करता है। इस मामले में, यह तर्क प्राप्त नहीं होगा और परिणामस्वरूप धारा 34 (2) (ए) (iv) आकर्षित नहीं होगी। हालाँकि, जब भारत की सार्वजनिक नीति की बात आती है

"न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" पर आधारित तर्क, यह स्पष्ट है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

ऐसी परिस्थितियाँ जब न्यायालय की अंतरात्मा मौलिक धारणाओं या न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन से स्तब्ध हो जाती है। द. समझौते द्वारा लागू किया गया सूत्र फरवरी, 2013 तक लागू रहा-संक्षेप में, यह कहना सही नहीं है कि समझौते के तहत सूत्र को मंत्रालय द्वारा आधार सूचकांकों में 1993-94 से 2004-05 में परिवर्तन को देखते हुए लागू नहीं किया जा सका।

इसके अलावा, एक जोड़ने वाले कारक को लागू करने के लिए, एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से जारी एक परिपत्र, संभवतः दूसरे पक्ष को उस दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समझौते के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वास्तव में,

परिपत्र स्वयं स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यह तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ठेकेदार एक वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं कि परिपत्र के तहत मूल्य समायोजन उन्हें स्वीकार्य है। अपीलार्थी ने ऐसा वचन केवल सशर्त और बिना किसी शर्त के दिया।

इसके इस तर्क के प्रति पूर्वाग्रह कि परिपत्र लागू नहीं होता है और लागू नहीं हो सकता है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि बहुमत पुरस्कार ने उक्त एकतरफा परिपत्र को लागू करके और समझौते के तहत एक व्यवहार्य सूत्र को एक अन्य सूत्र डी हॉर्स द एग्रीमेंट द्वारा प्रतिस्थापित करके पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया। इस मामले में, न्याय के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, किसी अनुबंध का एकतरफा जोड़ या परिवर्तन कभी भी किसी अनिच्छुक पक्ष पर थोपा नहीं जा सकता है, और न ही समझौते का कोई पक्ष दूसरे पक्ष के साथ किए गए सौदे को करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। स्पष्ट रूप से, इस तरह का आचरण न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा जैसा कि इसमें अनुसरण किया गया है।

परिस्थितिमे कोनो न्यायालय एहि आधार पर मध्यस्थता पुरस्कारमे हस्तक्षेप कऽ सकैत अछि जे न्यायालयक विचारसँ न्याय नहि कयल गेल अछि। यह उस विवाद के गुण-दोष में प्रवेश होगा जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 के लोकाचार के विपरीत है। द. एकल न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, बहुमत पुरस्कार भी अलग रखा जाता है। 1996 के अधिनियम की धारा 34 की योजना के तहत, बहुमत निर्णय द्वारा तय किए गए विवादों को नए सिरे से किसी अन्य मध्यस्थता को संदर्भित करना होगा। यह काफी देरी का कारण बनेगा और महत्वपूर्ण में से एक के विपरीत होगा।

1996 के अधिनियम के उद्देश्य, अर्थात् विवादों का त्वरित समाधान [2019] 7 एस. सी. आर.

अधिनियम के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा। इसलिए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि एक अल्पमत पुरस्कार है जो अपीलार्थी को दोनों पक्षों के बीच समझौते में उल्लिखित सूत्र के आधार पर अपने दावे का पुरस्कार देता है।

पार्टियों, अल्पसंख्यक पुरस्कार को बरकरार रखा जाता है और यह पुरस्कार, ब्याज के साथ, अब पार्टियों के बीच निष्पादित किया जाएगा। विद्वान मध्यस्थों के समक्ष अपने दावे के विवरण में अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए राहत को देखते हुए, अपीलार्थी को जो दिया जाता है, वह अनुबंध के उप-खंड 70.3 के तहत देय मूल्य समायोजन के लिए, सितंबर 2010 से मई 2014 तक अनुबंध के तहत किए गए काम के लिए, साथ ही 10 प्रतिशत की दर से ब्याज, भुगतान की नियत तारीख से पुरस्कार की तारीख तक मासिक रूप से चक्रवृद्धि, यानी, 02.05.2016, और भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष (सरल) की दर से भविष्य का ब्याज है। [पारस 47-49] [604-G-H; 605-A-H; 606-A-F]

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली विकास प्राधिकरण

(2015) 3 एस. सी. सी. 49; ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एससीसी 263: [2014] 12 एससीआर 1

समझाया।

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट (पी.) लिमिटेड और अन्य। , (2018) 6 एससीसी 287: [2018] 2 एस. सी. आर. 829; सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल, इंक. और अन्य। वी. आयकर आयुक्त, देहरादून और अन्र। , (2005) 12 एससीसी 717: [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303; गोवा राज्य बनाम। प्रवीण एंटरप्राइजेज (2012) 12 एस. सी. सी. 581:

[2011] 10 एससीआर 1026-पर निर्भर।

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3 एस. सी. आर. 691; रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल

इलेक्ट्रिक कं. 1994 सप. (1) एस. सी. सी. 644: [1993] 3 पूरक। एससीआर 22; डीडीए बनाम। आर. एस. शर्मा एंड कंपनी (2008) 13 एस. सी. सी. 80 [2008] 12 एस. सी. आर. 785; न्यूनतम धातु जर्मनी जी. एम. बी. एच. वी. फर्को स्टील लिमिटेड, [1999] सी. एल. सी. 647; सी. आर. डब्ल्यू. संयुक्त संचालन बनाम। पी. टी. पेरुसाहान गैस नेगारा (पर्सेरो)

टीबीके, [2011] एसजीसीए 33; पार्सन्स एंड व्हिटमोर

ओवरसीज कं., इंक., वी. सोसायटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री सैंग्योंग एंग।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.)

डू पापियर (आरएकेटीए) 508 एफ. 2 डी 969; लेसोथो हाइलैंड्स विकास प्राधिकरण बनाम। इम्प्रेगिलो एसपीए और ओआरएस। [2005] 3 सभी ई. आर. 789 [एच. एल.]; पैट्रिक रयान और एन रयान और

केविन ओ 'लेरी (क्लोनमेल) लिमिटेड और जनरल मोटर्स, [2018] आई. ई. एच. सी. 660; डोंगवू मान + हम्मेल कंपनी लिमिटेड v. मान + हम्मेल जीएमबीएच, [2008] एसजीएचसी 67; बीएजेड वी। बीबीए

और ओआरएस। , [2018] एस. जी. एच. सी. 275-संदर्भित। रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन

नाइजल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टासाइड्स, एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय)

प्रेस, पाँचवाँ संस्करण। , 2009) ; गैरी बी. बोर्न द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (वोल्टर्स क्लूवर, द्वितीय)

एड। , 2014) ; UNCITRAL सचिवालय गाइड ऑन

मान्यता और प्रवर्तन पर समझौता

विदेशी मध्यस्थ पुरस्कार (न्यूयॉर्क, 1958) (2016)

एड.) ; अंतर्राष्ट्रीय पर UNCITRAL मॉडल कानून

वाणिज्यिक मध्यस्थता; विदेशी मध्यस्थ की मान्यता और प्रवर्तन पर न्यूयॉर्क सम्मेलन

पुरस्कार-टिप्पणी, डॉ. रेनमार वोल्फ द्वारा संपादित

(सी. एच. बेक, हार्ट, नोमोस पब्लिशिंग, 2012);

इंटरनेशनल पर फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन

वाणिज्यिक मध्यस्थता (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 1999)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 2 एससीआर 829

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2003] 3 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2014] 12 एससीआर 1

पैरा 12

समझाया।

(2015) 3 एससीसी 49

समझाया।

पैरा 13

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2008] 12 एससीआर 785

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2011] 10 एससीआर 1026

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4779

2019 से।

उच्च न्यायालय के 03.04.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) कॉम. में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय। 2016 का सं. 82। मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नवीन कुमार, सुश्री रश्मीत कौर, सुश्री अर्पणा मजूमदार, अश्विनी कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एस. नंदकुमार, सुश्री दीपिका नंदकुमार, पी. पलानीवेलु, एम. एस. सरन कुमार, नरेश कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. प्रतिवादी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

[" एनएचएआई] ने मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 26 पर चार लेन वाले बाईपास के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। अपीलार्थी की बोली थी

आई. एन. आर. 219,01,16,805/- के कुल अनुबंध मूल्य के लिए अपने स्वीकृति पत्र दिनांक 30.12.2005 के माध्यम से स्वीकार किया गया। हमारे समक्ष अपीलकर्ता कोरिया गणराज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जबकि

प्रत्यर्थी भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो पूरे भारत के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कार्य के निष्पादन में उपयोग किए जाने वाले घटक जिनके लिए अपीलार्थी को मूल्य समायोजन देय था, वे श्रम, संयंत्र और मशीनरी, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पी. ओ. एल.), सीमेंट, इस्पात, बिटुमेन और अन्य स्थानीय सामग्री हैं। इनमें से चार घटकों, जैसे सीमेंट, इस्पात, संयंत्र के लिए मूल्य समायोजन।

और मशीनरी और अन्य स्थानीय सामग्रियों की गणना अनुबंध के उपखंड 70.3 में दिए गए सूत्र के अनुसार करने पर सहमति व्यक्त की गई। उपखंड 70.3 के सुसंगत भाग में निम्नानुसार कहा गया हैः

" ii. सीमेंट घटक के लिए समायोजन

ठेकेदार द्वारा खरीदे गए सीमेंट की लागत में वृद्धि या कमी के लिए मूल्य समायोजन का भुगतान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगाः

$$Vc = 0.85 \times Pc \times Ri \times (C1-C0)$$

100

सीओ

कहाँ,

कार्य के दौरान कार्य की लागत में वृद्धि या कमी

वीसी

घटक की दरों में परिवर्तन के कारण विचाराधीन महीना।

सीमेंट के लिए अखिल भारतीय औसत थोक मूल्य सूचकांक

सीओ

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले, एस. एस. ए. एन. जी. ए. एन. जी.

& कॉन्स्ट, को. लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय, सरकार द्वारा प्रकाशित

भारत का, नई दिल्ली।

सी1

सीमेंट के लिए अखिल भारतीय औसत थोक मूल्य सूचकांक

उस अवधि के अंतिम दिन से 28 दिन पहले जिस दिन एक

विशेष अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र संबंधित है, जैसा कि द्वारा प्रकाशित किया गया है

औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

दिल्ली।

सीमेंट घटक का प्रतिशत।

पीसी जहाँ तक घटक सी का संबंध है, वह तिथि जो 28 है।

बोलियों के अंतिम जमा करने से कुछ दिन पहले 29.09.2005 है, जो मूल्य समायोजन की गणना के लिए आधार तिथि है, क्योंकि यह आम आधार है कि बोली जमा करने की तिथि 27.10.2005 है।

3. अपीलार्थी को हर बार मूल्य समायोजन का भुगतान किया जा रहा था।

औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक ["डब्ल्यूपीआई"] का उपयोग करके उप-खंड 70.3 के तहत सहमत सूत्र के संदर्भ में महीना, जो 1993-94 = 100 ["पुरानी श्रृंखला"] के बाद आया। हालाँकि, 14.09.2010 से, औद्योगिक मंत्रालय विकास ने पुरानी श्रृंखला के लिए डब्ल्यूपीआई का प्रकाशन बंद कर दिया और शुरू कर दिया

डब्ल्यूपीआई श्रृंखला 2004-05 = 100 ["नई श्रृंखला"] के तहत प्रकाशन सूचकांक। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस नई श्रृंखला के तहत भी, अप्रैल, 2005 से शुरू होने वाले पिछले वर्षों के लिए डब्ल्यू. पी. आई. भी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे थे। ऐसा होने के कारण, क्योंकि दोनों सूचकांक सी और सी मूल्य समायोजन की गणना के लिए नई श्रृंखला के तहत अपीलार्थी के लिए उपलब्ध थे, अपीलार्थी ने तदनुसार अपने बिल उठाए। यह निर्विवाद है कि भुगतान इस आधार पर मासिक बिलों का 90 प्रतिशत सितंबर, 2010 से फरवरी, 2013 की अवधि के लिए किया गया था। 15.02.2013 पर, प्रत्यर्थी ने एक नीति परिपत्र ["परिपत्र"] जारी किया, जिसमें वर्ष 2009 10 के आधार पर "लिंकिंग फैक्टर" लागू करके सूचकांकों को निर्धारित करने के लिए एक नए सूत्र का उपयोग किया गया था। हालाँकि, इस परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है:

" इस प्रकार, मूल्य समायोजन के कारण भुगतान किया जा सकता है

उपरोक्त प्रक्रिया को इस शर्त के अधीन अपनाना कि ठेकेदार वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं कि यह मूल्य समायोजन

उन्हें स्वीकार्य है और वे कोई दावा नहीं करेंगे, जो भी हो,

इस भुगतान के बाद भविष्य में इस खाते में। '

"

4. इस परिपत्र के बाद, प्रतिवादी ने कहा कि परिपत्र

विचाराधीन अनुबंध पर लागू किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप, एक लिंकिंग कारक प्रदान करना होगा जिसके द्वारा पुरानी श्रृंखला [2019] 7 एस. सी. आर. थी।

नई श्रृंखला से जुड़ा हुआ। अपीलार्थी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

रिट याचिका जिसमें उसने परिपत्र की वैधता को चुनौती दी थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका का इस अवलोकन के साथ निपटारा किया कि विवाद निर्णय बोर्ड के माध्यम से एक विवाद समाधान तंत्र मौजूद है, जिसके बाद मध्यस्थता भी प्रदान की जाती है, और जैसा कि अपीलार्थी के पास एक प्रभावी व्यवस्था थी।

वैकल्पिक उपचार, इसे उसी में बदल दिया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से परिपत्र के तहत मासिक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए कहा। अपीलार्थी ने दिनांक 17.05.2013 का एक सशर्त वचन प्रस्तुत किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया थाः

" उपरोक्त उपक्रम अनुबंध के प्रावधानों और उनके लिए उपलब्ध अन्य कानूनी उपायों के अनुसार उक्त परिपत्र दिनांक 15.02.2013 को चुनौती देने के ठेकेदार के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

उपयुक्त मंच के समक्ष ठेकेदार।

5. इसके बाद अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["1996 अधिनियम"] की धारा 9 के तहत एक आवेदन के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कथित परिपत्र को लागू करके प्रत्यर्थी द्वारा की जाने वाली कटौती और वसूली के खिलाफ अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को उक्त परिपत्र को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से रोक दिया। 6. इस बीच, उपरोक्त विवाद को अनुबंध के उप-खंड 67 के तहत परिकल्पित विवाद न्यायनिर्णायक बोर्ड को भेजा गया था। विवाद न्यायनिर्णायक बोर्ड ने अपनी बहुमत की अनुशंसा दिनांक 31.10.2013 द्वारा एक निश्चित जोड़ने वाले कारक की सिफारिश की और फिर इस तरह के जोड़ने वाले कारक को लागू करके उपरोक्त चार सामग्रियों में मूल्य समायोजन के आंकड़ों पर पहुंचा। हालांकि, विवाद के सदस्यों में से एक

न्यायनिर्णायक बोर्ड ने अपीलार्थी के पक्ष में एक असहमति नोट दिया, जिसमें सिफारिश की गई कि अनुबंध की स्पष्ट शर्तों को देखते हुए, विवादित परिपत्र में निहित प्रावधानों को मूल्य समायोजन की गणना के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। विवाद न्यायनिर्णायक बोर्ड की सिफारिशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दिनांक 19.11.2013 पर असंतोष का नोटिस जारी किया, और विवाद को तीन सदस्यों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज दिया। अपीलार्थी ने सितंबर 2010 से मई 2014 तक की अवधि के लिए अवैतनिक मूल्य समायोजन के लिए आई. एन. आर. 2,01,42,827/- और उपरोक्त अवैतनिक राशि पर ब्याज के लिए आई. एन. आर. 1,00,86,417/- का दावा किया। इस प्रकार जिस विवाद को मध्यस्थता के रूप में संदर्भित किया गया था, वह एक संकीर्ण विवाद था, जिसका नाम था कि क्या मूल्य समायोजन एस. एस. ए. एन. जी. ए. एन. जी. ए. एन. जी.।

& कॉन्स्ट, को. लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनुबंध की शर्तों के तहत जारी रहेगा, या क्या 15.02.2013 दिनांकित परिपत्र, लिंकिंग कारक को लागू करने के लिए, लागू करना होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के तीन सदस्यों में से दो, दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान देने के बाद, नई दिल्ली में दिए गए अपने दिनांकित 02.05.2016 के निर्णय द्वारा, अभिनिर्धारित किया कि परिपत्र लागू किया जा सकता है क्योंकि यह संविदात्मक शर्तों के भीतर था, जैसा कि विवाद न्यायनिर्णायक बोर्ड द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, और इसलिए, अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। ऐसा करते समय, बहुमत पुरस्कार ने वाणिज्य मंत्रालय के कुछ सरकारी दिशानिर्देशों को लागू किया और

उद्योग, जिसके अनुसार यह कहा गया था कि पुरानी श्रृंखला को नई श्रृंखला से जोड़ने के लिए एक जोड़ने वाले कारक की स्थापना अनिवार्य है, और इसलिए, आवश्यक है। इसलिए, अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि जोड़ने का कारक अनुबंध है और इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

बहुमत पुरस्कार ने आगे यह स्पष्ट कर दिया कि ये दिशानिर्देश एक निश्चित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, क्योंकि वे रिकॉर्ड में नहीं थे। दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 13 को तब संदर्भित किया गया था, और अंकगणितीय रूपांतरण विधि को लागू करते हुए, जो उक्त पैराग्राफ में संदर्भित तीन तरीकों में से एक है, एक लिंकिंग कारक के अनुसार लागू किया गया था

उक्त विधि में निर्धारित सूत्र जो इस प्रकार हैः

" अंकगणितीय रूपांतरण विधिः

y = cx या c = y/x

जहाँ y पुराने के लिए 12 महीने के सूचकांकों का औसत मूल्य है।

नई श्रृंखला के लिए श्रृंखला और x; c रूपांतरण कारक है। इसका अर्थ है कि y और x के बीच का संबंध रैखिक है। x के लिए 12 महीनों का औसत 100 लिया जाता है।

इस प्रकार, उपरोक्त संयोजन कारक के आधार पर अंतिम बहुमत पुरस्कार इस प्रकार थाः

" 9. पुरस्कार

9.1 . उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, हमारा मानना है कि मूल्य समायोजन के निर्धारण के आधार के रूप में आधार 2004-05 श्रृंखला से पहले की श्रृंखला आधार 1993-94 में सूचकांकों के रूपांतरण के लिए लिंकेज कारक शुरू करना अनिवार्य है और आवश्यक है। मूल्य समायोजन में शामिल कार्य की चार वस्तुओं/सामग्रियों के लिए जोड़ने वाले कारक इस प्रकार होंगे - इसके अंतर्गतः

सीमेंट

1.528

स्टील

2.36

5 [2019] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संयंत्र और मशीनरी

1.840

अन्य सामग्री

1.873

9.2 . मूल्य समायोजन की अंतिम राशि पर काम किया जाएगा।

उपर्युक्त संबंध कारकों का आधार। कटौती करने के बाद

दावेदार को पहले से ही भुगतान की गई राशि, उन्हें देय राशि

उनके दावे के खिलाफ निर्धारित किया जाएगा और उसी का भुगतान किया जाएगा।

दावेदार के प्रत्यर्थी द्वारा।

9.3 . इस राशि पर सालाना 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भी लगेगा। भुगतान की नियत तारीख से भुगतान की तारीख तक मासिक चक्रवृद्धि

पुरस्कार, अर्थात। 02.05.2016 .

9.4 . 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज, साधारण ब्याज,

दावेदार को 02.05.2016 के बाद से देय तिथि तक

भुगतान। हालाँकि भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

पुरस्कार की तारीख के 90 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाता है, कि 02.08.2016 "द्वारा है।

श्री दिलीप नामदेव पोटुखे द्वारा एक असहमति पुरस्कार प्रदान किया गया।

जिसे विद्वान असहमत मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो परिपत्र और न ही दिशानिर्देशों को लागू किया जा सकता है क्योंकि वे पक्षों के बीच अनुबंध थे। तदनुसार, असहमत पुरस्कार ने दावेदार-अपीलार्थी के दावे को पूर्ण रूप से सम्मानित किया।

7. अपीलार्थी द्वारा दायर एक धारा 34 याचिका थी

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 के एक निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बहुमत मध्यस्थों द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण लिया गया था, जिसमें मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के मापदंडों को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा

सकता था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्णय दिया कि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नई श्रृंखला को अपीलार्थी के मामले में लागू किया जा सकता है क्योंकि नई श्रृंखला के तहत 2004-05 के लिए आधार सूचकांक उपलब्ध थे। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि भले ही दृष्टिकोण

असहमति पुरस्कार में व्यक्त किया गया विचार अधिक आकर्षक है, और उन्होंने उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, फिर भी उन्होंने पाया कि चूंकि बहुमत पुरस्कार एक संभावित दृष्टिकोण है, हस्तक्षेप का दायरा सीमित होने के कारण, धारा 34 याचिका को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एक धारा 37 की अपील ने दिनांक 03.04.2017 के विवादित फैसले द्वारा समान परिणाम दिया।

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

8. श्रीमती. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता रश्मीत कौर ने सबसे पहले कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) (iv) वर्तमान मामले के तथ्यों को बहुमत पुरस्कार के रूप में आकर्षित करती है। इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल थे। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि थी,

और एक नए अनुबंध को बहुमत पुरस्कार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो पुराने समझौते और समझौते में निहित पुराने सूत्र को नया बनाता है, जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे किसी मामले पर निर्णय होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) को भी आकर्षित किया जाएगा क्योंकि यह पुरस्कार इसके विपरीत था।

भारत की सार्वजनिक नीति, भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ-साथ न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के विपरीत है। उनके अनुसार, अनुबंध की शर्तों के पुनर्लेखन से न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष पर एकतरफा रूप से एक नया अनुबंध लागू किया गया था। इसके लिए उन्होंने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था और इसलिए, धारा 34 (2) (ए) (iii) को भी आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी दिशानिर्देशों को कभी भी मध्यस्थों और मध्यस्थों के सामने पेश नहीं किया गया था

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री एस. नंदकुमार ने तर्क दिया कि 2004-05 के आधार सूचकांक के साथ नए सूत्र को लागू करने से अनुबंध हो जाएगा। अव्यवहारिक, जिसके परिणामस्वरूप, एक लिंकिंग कारक होना अनिवार्य था। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी ने स्वयं एक आवेदन किया

जब न्यायाधिकरण ने उसे ऐसा करने के लिए कहा, तो यह उसकी अन्य दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हो सकता है। किसी भी मामले में, यह उस समझौते की व्याख्या का विषय था जिसमें मध्यस्थों का दृष्टिकोण अंतिम है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा सही ढंग से माना गया है। वह. इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निर्णयों का भी हवाला दिया। उनके अनुसार, इसलिए इस अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता और सुलह की प्रयोज्यता

(संशोधन) अधिनियम, 2015

10. चूंकि वर्तमान मामले में धारा 34 याचिका दिनांकित है।

30.07.2016 , इस मामले में मध्यस्थता पुरस्कारों की समीक्षा के मापदंडों की प्रयोज्यता के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होगा। विशेष रूप से,

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["संशोधन अधिनियम, 2015"] द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के लिए विशेष रूप से "भारत की सार्वजनिक नीति" के आधार पर मौलिक परिवर्तन किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या धारा 34 में किए गए संशोधन 23.10.2015 के बाद किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने के लिए धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होते हैं। यह न्यायालय, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम। कोच्चि क्रिकेट (पी.) लिमिटेड

और ओआरएस। , (2018) 6 एस. सी. सी. 287 ["बी. सी. सी. आई".] ने अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन अधिनियम, 2015 इस तिथि के बाद की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 75. श्री विश्वनाथन ने तब आर. राजगोपाल पर भरोसा करते हुए तर्क दिया

रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन [आर. राजगोपाल रेड्डी बनाम। पद्मिनी चंद्रशेखरन (1995) 2 एस. सी. सी. 630], फ्यूर्स्ट डे

वी. जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2001) 6 एस. सी. सी. 356], सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल इंक. बनाम। सी. आई. टी. [सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल इंक. वी. सी. आई. टी. (2005) 12 एस. सी. सी. 717] और बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। अनीता नंदराजोग [बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम। अनीता नंदराजोग (2009) 9 एस. सी. सी. 462: (2009) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 689], कि एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन केवल तभी पूर्वव्यापी हो सकता है, जब यह कानून को पर्याप्त रूप से नहीं बदलता है, बल्कि केवल कुछ संदेह को स्पष्ट करता है जो कानून में आ गया है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने हमें धारा में किए गए संशोधनों के बारे में बताया

34 संशोधन अधिनियम द्वारा और कहा गया कि इस तथ्य के बावजूद कि धारा 34 (2) के स्पष्टीकरण 1 और 2 में कहा गया है कि "किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है", यह ऐसी भाषा नहीं है जो प्रकृति में निर्णायक है, लेकिन यह अदालत के लिए इस बात में जाने के लिए खुला है कि क्या इसमें है।

वास्तव में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहले की स्थिति से किया गया है या क्या किसी संदेह को केवल स्पष्ट किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, चूंकि मौलिक परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए इस न्यायालय के कम से कम दो निर्णयों को सॉ पाइप्स लिमिटेड से हटा दिया गया है। सॉ पाइप्स लिमिटेड,

(2003) 5 एस. सी. सी. 705] और वेस्टर्न गेको [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12], एसएस. ए. एन. जी. ए. एन. जी.

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जैसा कि एच. आर. डी. निगम में पैरा 18 में आयोजित किया गया है। वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड. [एच. आर. डी. कार्पोरेशन। वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड, (2018) 12 एस. सी. सी. 471], यह स्पष्ट है कि ऐसे संशोधन केवल संभावित प्रकृति के होंगे। हम उपरोक्त विवाद पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं क्योंकि धारा 34 में किए गए संशोधन सीधे हमारे सामने नहीं हैं। यह.

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संशोधन अधिनियम की धारा 26 यह स्पष्ट करती है कि संशोधन अधिनियम, समग्र रूप से, संभावित प्रकृति का है। इसके बाद, क्या कुछ प्रावधान स्पष्टीकरणात्मक, घोषणात्मक या प्रक्रियात्मक हैं और इसलिए, पूर्वव्यापी, एक अलग और स्वतंत्र जांच है, जिसे हमें करने की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान मामलों के तथ्य, ऊपर इंगित सीमा को छोड़कर, अर्थात् संशोधन अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 36 का प्रभाव।

XXX XXX XXX

" 78. सरकार को उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों के विवरण को सबसे आगे रखने के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी, यदि वह प्रस्ताव करती है

धारा 87 को सरकार की दिनांक 7-3-2018 की प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाई गई तर्ज पर अधिनियमित करना। प्रस्तावित धारा 87 का तत्काल प्रभाव संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संशोधनों, जैसे कि विशेष रूप से धारा 28 और 34 में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों, जिन्हें, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, पर रोक लगाना होगा।

" ..... इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई है और मध्यस्थता मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ा है।

जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देते हैं ",

और अब 23-10-2015 के बाद दायर की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन उन मामलों में दायर की गई धारा 34 याचिकाओं पर लागू होगा जहां मध्यस्थता की कार्यवाही स्वयं 23-10-2015 के बाद ही शुरू हुई है। इसका मतलब यह होगा कि सभी मामलों में जो पाइपलाइन में हैं, इस तथ्य के बावजूद कि धारा 34 की कार्यवाही 23-10-2015 के बाद ही शुरू की गई है, फिर भी, पुराना कानून लागू होता रहेगा जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता के निपटारे में देरी होगी।

अदालतों के बढ़ते हस्तक्षेप से कार्यवाही, जो अंततः 1996 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देती है। [इन संशोधनों का प्रभाव है, जैसा कि एच. आर. डी. निगम में कहा गया है। वी. गेल (इंडिया) लिमिटेड, (2018) 12 एस. सी. सी. 471 पुरस्कारों को चुनौती देने के आधार को निम्नानुसार सीमित करनाः (एस. सी. सी पी. 493, पैरा 18)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 18. वास्तव में, उसी विधि आयोग की रिपोर्ट में संशोधन किया गया है

धारा 28 और 34 ताकि चुनौती के आधार को संकुचित किया जा सके। अधिनियम के तहत उपलब्ध। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम में निर्णय देखा।

पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705 को स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है। के साथ। ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम में भी यही निर्णय है। पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड (2014) 9 एस. सी. सी. 263। धारा 34 और

48 कानून की स्थिति में वापस लाया गया है

रेनुसागर पावर प्लांट कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक

कंपनी, 1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644, जहाँ "सार्वजनिक नीति" लागू होगी।

अब उसमें निर्धारित तीन चीजों में से केवल दो को शामिल करें।

" भारतीय कानून की मौलिक नीति को अब समझना होगा। जैसा कि रेनुसागर, 1994 में उपबंध (1) एस. सी. सी. 644 में निर्धारित किया गया है। न्याय

या नैतिकता को कड़ा कर दिया गया है और अब इसे समझा जाना है।

जिसका अर्थ है न्याय और नैतिकता की केवल बुनियादी धारणाएँ अर्थात

ऐसी धारणाएँ जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देंगी

एसोसिएट बिल्डर्स बनाम में समझा गया। डी. डी. ए. (2015) 3 एस. सी. सी. 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204 धारा 28 (3) में भी संशोधन किया गया है।

इसे एसोसिएट में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप लाने के लिए

बिल्डर्स, (2015) 3 एससीसी 49: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 204, निर्माण यह स्पष्ट है कि अनुबंध की शर्तों का निर्माण है

मुख्य रूप से मध्यस्थ को यह निर्णय लेने के लिए जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि

निर्माण संभव नहीं है।]

यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि 246 वां विधि आयोग

रिपोर्ट ने स्वयं कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया है, ताकि

शुरू की गई अदालती कार्यवाही पर संशोधन अधिनियम लागू हो सकता है

23-10-2015 पर या उसके बाद। यह मूल योजना है जिसका पालन किया जाता है।

संशोधन अधिनियम की धारा 26 द्वारा, जो नहीं होना चाहिए

संशोधन के अधिनियमन के उद्देश्य के रूप में विस्थापित

अन्यथा अधिनियम पराजित हो जाएगा।

(जोर दिया गया)

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पष्टीकरणों में किए गए संशोधन

2 धारा 34 (2) (बी) (ii) को किसी से बचने के लिए बनाया गया है

, हालाँकि, कौन सी भाषा धारा 34 (2 ए) में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा

विसंगत स्थिति जो उत्पन्न होगी यदि धारा को टुकड़ों में विभाजित किया जाना था, अर्थात्, कि स्पष्टीकरण 1 और 2 को होना था

दर्शनीय प्रभाव, केवल संदेह को दूर करने के लिए है, जबकि उप-खंड सैंग्योंग ई. एन. जी.

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2 क) एक नए आधार के रूप में संभावित रूप से लागू करना होगा, अंतर्निहित अपवादों के साथ, पहली बार पेश किए जाने के बाद, यह स्पष्ट है कि सिद्धांत रूप में भी, यह संशोधन का सार है जिसे प्रपत्र के बजाय देखा जाना है। इसलिए, उन मामलों में भी जहां संदेह से बचने के लिए, संशोधन के माध्यम से कुछ स्पष्ट किया जाता है, इस तरह का स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी नहीं हो सकता है यदि पहले के कानून को पर्याप्त रूप से बदल दिया गया है। इस प्रकार, सेडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिल, इंक. और ओआरएस में। वी.

आयकर आयुक्त, देहरादून और अन्न। , (2005) 12 एस. सी. सी. 717 ["सेडको"], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 17. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा गोस्लिनो मारियो [(2000) 10 एस. सी. सी. 165 में पुष्टि की गई थीः (2000) 241 आई. टी. आर. 312] कर कानून का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि लागू किया जाने वाला कानून वह है जो संबंधित मामलों में लागू है।

निर्धारण वर्ष जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से या द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो

आवश्यक प्रभाव। (रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज भी देखें।

लिमिटेड वी. सीआईटी [(1980) 1 एससीसी 139: 1980 एस. सी. सी. (कर) 67]। एक सांविधिक प्रावधान के लिए एक स्पष्टीकरण के उद्देश्य को पूरा कर सकता है

मुख्य प्रावधान या स्पष्टीकरण में अस्पष्टता को दूर करने से मुख्य खंड का दायरा बढ़ सकता है और व्यापक हो सकता है [सोनिया भाटिया बनाम देखें। उत्तर प्रदेश राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 585,598: ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1274,1282 पैरा 24] यदि यह अपनी प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है तो स्पष्टीकरण को मुख्य प्रावधान के लागू होने के समय से ही मुख्य प्रावधान में पढ़ा जाना चाहिए [श्याम सुंदर बनाम देखें। राम कुमार, (2001) 8 एस. सी. सी. 24 (पैरा 44); बृज मोहन दास लक्ष्मण दास बनाम। सी. आई. टी., (1997) 1 एस. सी. सी. 352,354; सी. आई. टी. बनाम। पोदार सीमेंट (पी) लिमिटेड, (1997) 5 एससीसी 482,506]। लेकिन अगर यह कानून में बदलाव करता है तो इसे पूर्वव्यापी नहीं माना जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उपयोग किए गए वाक्यांश "इसे घोषित किया गया है" या "हटाने के लिए" हैं।

संदेह "।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में कानून में बुनियादी बदलाव किए गए हैं। "भारत की सार्वजनिक नीति" का विस्तार

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705 ["सॉ पाइप्स"] और ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड, (2014) 9 एस. सी. सी. 263 ["वेस्टर्न गेको"] को समाप्त कर दिया गया है और अंतर्निहित अपवादों के साथ "पेटेंट अवैधता" का एक नया आधार पेश किया गया है। दिया गया है।

यह, हम घोषणा करते हैं कि धारा 34, जैसा कि संशोधित किया गया है, केवल धारा 34 के उन आवेदनों पर लागू होगी जो 23.10.2015 को या उसके बाद न्यायालय में किए गए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता कार्यवाही हो सकती है उस तारीख से पहले शुरू हुआ।

संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा किए गए परिवर्तन

13. जहाँ तक इसका संबंध है, सबसे पहले कानून का सर्वेक्षण करना आवश्यक है।

और एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए यदि यह जनता के साथ संघर्ष में है

भारत का, जैसा कि यह संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले मौजूद था। में।

बिल्डर्स वी। दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी

एसोसिएट बिल्डर्स], इस न्यायालय ने फैसले को संदर्भित किया

अगर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1)

44 [" रेनुसागर "], इस प्रकार हैः

18. रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक

कं. [रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644], सुप्रीम कोर्ट ने धारा का अर्थ लगाया

(1) (ख) (ii) विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन)

अधिनियम, 1961:

" 7. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। — (1) इस अधिनियम के तहत कोई विदेशी पुरस्कार लागू नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX ((ii) पुरस्कार का प्रवर्तन इसके विपरीत होगा -

सार्वजनिक नीति "।

एक के संदर्भ में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाने में विदेशी पुरस्कार, न्यायालय ने माना कि इसके विपरीत एक पुरस्कार

((i) भारतीय कानून की मौलिक नीति,

((ख) भारत का हित,

((ग) न्याय या नैतिकता,

इसे इस आधार पर अलग रखा जाएगा कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। यह आगे चला गया कि ए

विदेशी मुद्रा के प्रावधानों का उल्लंघन

विनियमन अधिनियम भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा क्योंकि क़ानून को राष्ट्रीय आर्थिक हित के लिए अधिनियमित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्र को विदेशी मुद्रा का नुकसान न हो जो राष्ट्र के आर्थिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है (एस. सी. सी. पी. देखें। 685, पैरा 75)। समान रूप से, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करना भी एस. एस. ए. एन. जी. ए. एन. जी. का उल्लंघन हो सकता है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारतीय कानून की मौलिक नीति, लेकिन यौगिक की वसूली ब्याज पर ब्याज, केवल क़ानून के विपरीत होने के कारण, भारतीय कानून की किसी भी मौलिक नीति का उल्लंघन नहीं करेगा (एस. सी. सी. देखें।

पीपी। 689 & 693 , पैरा 85 और 95) "।

कानून के इस कथन में, इस न्यायालय ने जोड़ा कि बाध्यकारी

उच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना की जा रही है

भारतीय कानून की मौलिक नीति का समान रूप से उल्लंघन करने वाला होना [देखें]

राफ़ 27]।

14. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 996 अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) और 48 (2) (बी) ने 2015 में अपने संशोधन से पहले निम्नानुसार कहा थाः

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। —

XXX XXX XXX

(2) एक मध्यस्थ पुरस्कार को अदालत द्वारा केवल तभी दरकिनार किया जा सकता है जब

XXX XXX XXX (ख) न्यायालय ने पाया कि

(i) विवाद का विषय-मामला कुछ समय के लिए कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है।

बल, या

((ii) मध्यस्थता पुरस्कार की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव है।

भारत।

स्पष्टीकरण। उप की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

खंड (ii) एतद्वारा किसी भी संदेह से बचने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 का उल्लंघन था या

धारा 81।

XXX XXX "

(2) मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि अदालत ने पाया कि

(ख) पुरस्कार का प्रवर्तन इसके विपरीत होगा

भारत की सार्वजनिक नीति।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के खंड (ख) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था।

XXX XXX "

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि क्या "सार्वजनिक नीति" के आधार का उपयोग धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए किया जाता है, या धारा 48, धारा (बी) के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने और लागू करने से इनकार करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से समझा जाना चाहिए जैसा कि धारा (बी)।15. हालाँकि, इस न्यायालय ने सॉ पाइप्स (उपरोक्त) में, धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए उल्लेख किए गए तीन आधारों में "पेटेंट अवैधता" नामक एक और पहचान जोड़ा, जिसका नाम नुसागर (उपर्युक्त) है।

1996 एक्ट करें। इस आधार को निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा गया थाः

" 31. ..... [पेटेंट] अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए और यदि अवैधता तुच्छ प्रकृति की है तो यह नहीं माना जा सकता है कि पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। यदि ऐसा है तो पुरस्कार भी अलग रखा जा सकता है। अनुचित और अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

इस तरह का पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसकी आवश्यकता है शून्य घोषित किया गया "।

16. कानून की इस व्याख्या को देखते हुए, जहां तक धारा 34 को निरस्त किया गया था, यह न्यायालय डी. डी. ए. बनाम. आर. एस. शर्मा एंड कंपनी, (2008) 1380 , उस समय के कानून का सारांश इस प्रकार हैः

" 21. उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैंः

(क) एक पुरस्कार, जो है -

((i) कानून के मूल प्रावधानों के विपरीत; या
((ii) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान,

1996 ; या

((iv) स्पष्ट रूप से अवैध; या
(v) पक्षकारों के अधिकारों के लिए प्रतिकूल; एंग्लिंग।

& कॉन्स्ट, को. लिमिटेड। वी. राष्ट्रीयहेस ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 34 (2) के तहत अदालत द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला है

एक्ट करें।

(ख) पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है यदि यह इसके विपरीत हैः

(क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या

((ख) भारत का हित; या

((ग) न्याय या नैतिकता।

(ग) पुरस्कार को अलग भी रखा जा सकता है यदि यह इतना अनुचित है और

यह अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

(घ) अदालत के लिए यह विचार करने के लिए खुला है कि क्या पुरस्कार अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के खिलाफ है और यदि ऐसा है, तो इसमें हस्तक्षेप करें।

यह इस आधार पर कि यह स्पष्ट रूप से अवैध है और इसका विरोध करता है

भारत की सार्वजनिक नीति। ....

7. 1996 के अधिनियम की धारा 34 में संपादित वाक्यांश "भारत की सार्वजनिक नीति" का एक और विस्तार इस एन वेस्टर्न गेको (सुप्रा) के एक अन्य निर्णय द्वारा किया गया था, जिसे एसोसिएट में समझाया गया था।

आर. एस. (ऊपर) इस प्रकार हैः 28. हाल के एक फैसले में ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम पश्चिमी गेको

इंटरनेशनल लिमिटेड [(2014) 9 एस. सी. सी. 263: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. वी.) 12],

उनके न्यायालय ने तीन अन्य विशिष्ट और मौलिक न्यायिक विधियों को जोड़ा।

जिन सिद्धांतों को भारतीय कानून की मौलिक नीति के एक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहाः (एससीसी पीपी। 278

0 , पैरा 35 & 38-40)

" 35. तब 'मौलिक नीति' क्या होगी?

भारतीय कानून का सवाल है। ओ. एन. जी. सी. [(2003) 5 एस. सी. सी. 705 में निर्णयः ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2629] उस पहलू को विस्तार से नहीं बताता है। फिर भी, हमारी राय में, इस अभिव्यक्ति में प्रशासन के लिए एक आधार प्रदान करने जैसे सभी बुनियादी सिद्धांत शामिल होने चाहिए।

इस देश में न्याय और कानून का प्रवर्तन। इसके बिना

अभिव्यक्ति 'भारतीय कानून की मौलिक नीति', हम तीन विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से भारतीय कानून के एक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए। भारतीय कानून की मौलिक नीति। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक निर्धारण में चाहे वह अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा हो जो किसी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है या [2019] 7 एस. सी. आर. की ओर ले जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोई भी नागरिक परिणाम, संबंधित न्यायालय या प्राधिकरण है

कानूनी भाषा में जिसे 'न्यायिक' कहा जाता है, उसे अपनाने के लिए बाध्य मामले में 'दृष्टिकोण'। न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने का कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होता है या प्राधिकरण को अलग या अलग होना आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त संबंधित मंचों को आदेश दिया। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्धारण में न्यायिक दृष्टिकोण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि जब तक न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण शक्तियों का प्रयोग करता है

जो उनके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित करता है, न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठा दिखाता है, वे मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। न्यायिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकरण ईमानदारी से कार्य करता है और विषय के साथ निष्पक्ष, उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यवहार करता है और इसका निर्णय किसी भी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं है। उस अर्थ में न्यायिक दृष्टिकोण खामियों और दोषों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है जो अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय को चुनौती के लिए असुरक्षित बना सकता है।

XXX XXX XXX

38. भारतीय कानून की नीति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और वास्तव में मौलिक सिद्धांत यह है कि एक अदालत और इसलिए एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को भी अधिकारों का निर्धारण करते समय और

इसके समक्ष पक्षकारों के दायित्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करते हैं। प्रसिद्ध ऑडी अल्टरम के अलावा

पक्षीय नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पहलुओं में से एक यह है कि मामले का निर्णय लेने वाले न्यायालय/प्राधिकरण को किसी न किसी तरह से विचार करते समय परिचर तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग का गैर-अनुप्रयोग एक दोष है जो किसी भी निर्णय के लिए घातक है। मन के प्रकटीकरण से मन का अनुप्रयोग सबसे अच्छा प्रदर्शित होता है और मन का प्रकटीकरण उस निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज करके किया जाता है जो अदालत या प्राधिकरण ले रहा है। यह आवश्यकता कि एक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपने दिमाग को लागू करना चाहिए, उस दृष्टिकोण में, हमारे न्यायशास्त्र में इतनी गहराई से अंतर्निहित है कि इसे भारतीय कानून की एक मौलिक नीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

39. प्रशासनिक कानून में अब एक हितकारी न्यायिक मौलिक के रूप में मान्यता प्राप्त सिद्धांत कम महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलता है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसी पर पहुँच गया होगा जिसे अदालत में कायम नहीं रखा जाएगा

कानून की एक अदालत में चुनौती अक्सर के रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय लेकिन कहीं भी वैधानिक प्रक्रियाओं में कम नहीं

वही उपलब्ध हैं।

40. हमारे लिए प्रयास करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है

एक परिभाषा के जलडमरूमध्य में अभिव्यक्ति। क्या है जरूरी हाथ में मामले के संदर्भ में यह है कि यदि तथ्यों पर साबित होता है

उनके सामने मध्यस्थ एक निष्कर्ष निकालने में विफल रहते हैं जो

तैयार किया जाना चाहिए था या यदि उन्होंने कोई निष्कर्ष निकाला है

जो इसके चेहरे पर है, असमर्थनीय जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात होता है

न्याय, निर्णय तब भी जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है

जो काफी अक्षांश का आनंद लेता है और बनाने में जोड़ों पर खेलता है

पुरस्कार चुनौती देने के लिए खुले होंगे और उन्हें त्याग दिया जा सकता है या

इस बात के आधार पर संशोधित किया गया है कि क्या अपमानजनक भाग है या है बाकी से अलग नहीं किया जा सकता। ”

(मूल में जोर)

29. यह स्पष्ट है कि "न्यायिक दृष्टिकोण" का न्यायिक सिद्धांत

यह माँग करता है कि निर्णय निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण हो। विपरीत पक्ष पर, कुछ भी मनमाना और सनकी स्पष्ट रूप से एक निर्णय नहीं होगा जो या तो उचित, उचित या उद्देश्यपूर्ण होगा। 30. ऑडी अल्टरम पार्टेम सिद्धांत जो निस्संदेह भारतीय कानून में एक मौलिक न्यायिक सिद्धांत है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में भी निहित है। ये खंड इस प्रकार हैं:

अपना मामला प्रस्तुत करें।

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। — XXX XXX XXX

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार केवल अदालत द्वारा अलग किया जा सकता है।

अगर

(क) आवेदन करने वाला पक्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है।

कि

XXX XXX XXX

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना पक्ष रखने में असमर्थ था। मामला; "

31. तीसरा न्यायिक सिद्धांत यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, महत्वपूर्ण है और इसके लिए कुछ हद तक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। यह तय किया गया कानून है कि कहाँः

((i) कोई निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के आधारित है, या
((ii) एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कुछ ध्यान में रखता है।

जिस निर्णय पर वह आता है, उससे अप्रासंगिक; या

((ग) अपने निर्णय पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की उपेक्षा करता है,

इस तरह का निर्णय अनिवार्य रूप से विकृत होगा।

32. विकृति की एक अच्छी कार्यशील परीक्षा दो निर्णयों में निहित है। उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण में प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस [1992 सप (2) एस. सी. सी. 312], यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 317, पैरा 7)

“ 7 ... ... इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि तथ्य का कोई निष्कर्ष प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज करने या हटाने या लेने से निकाला जाता है।

अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए या यदि निष्कर्ष ऐसा है

अपमानजनक रूप से तर्क की अवहेलना करता है कि वह बुराई से पीड़ित है

अतार्किकता में विकृत होने का दोष लगाया जाता है, फिर, निष्कर्ष को कानून में कमजोर बना दिया जाता है।

कुलदिप सिंह बनाम। कॉम. पुलिस का [(1999) 2 एस. सी. सी. 10: 1999 एससीसी (एल एंड एस) 429], यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 14, पैरा 10)

एंगियोंग अंग्रेज़ी। & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय IWAYS AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो विकृत हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या साक्ष्य के लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई उचित व्यक्ति नहीं है। उस पर कार्रवाई करेंगे, आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो यह कितना भी व्यापक हो सकता है, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और

निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

33. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि जब कोई अदालत मध्यस्थता पुरस्कार के लिए "सार्वजनिक नीति" परीक्षण लागू कर रही है, तो यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है और इसके परिणामस्वरूप तथ्य की त्रुटियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। तथ्यों पर मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से पारित करना होगा क्योंकि मध्यस्थ अंतिम होता है।

जब वह अपना मध्यस्थता पुरस्कार देता है तो साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता पर भरोसा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एक पुरस्कार जो कम साक्ष्य या साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। एक प्रशिक्षित कानूनी दिमाग की गुणवत्ता को इस अंक पर अमान्य नहीं माना जाएगा। एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण मनमाना या मनमौजी नहीं है, तो वह तथ्यों पर अंतिम शब्द है। में।

पी. आर. शाह, शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स (पी) लिमिटेड बनाम बी. एच. एच. प्रतिभूति (पी) लिमिटेड [(2012) 1 एस. सी. सी. 594: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 342], इस न्यायालय ने निर्णय दियाः (एससीसी पीपी। 601-02 , पैरा 21)

" 21. एक अदालत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के फैसले पर पुनर्विचार या पुनर्मूल्यांकन करके अपील में नहीं बैठती है

सबूत। एक पुरस्कार को केवल इसके तहत चुनौती दी जा सकती है अधिनियम की धारा 34 (2) में उल्लिखित आधार। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने तथ्यों की जांच की है और कहा है कि दोनों

दूसरा प्रत्यर्थी और अपीलार्थी उत्तरदायी हैं। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मामले को स्वीकार कर लिया गया है। यहां तक कि अल्पमत का दृष्टिकोण यह था कि दूसरा प्रतिवादी उत्तरदायी था जैसा कि पहले प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया था, लेकिन अपीलार्थी केवल इस आधार पर उत्तरदायी नहीं था कि मध्यस्थ बाय-लॉ 248 के तहत स्टॉक एक्सचेंज द्वारा नियुक्त, एक गैर-सदस्य के खिलाफ दावे में, किसी अन्य सदस्य के खिलाफ दावे पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। बहुमत का निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी ने [2019] 7 एस. सी. आर. के नाम पर लेनदेन किया था।

दूसरा प्रत्यर्थी और इसलिए, दूसरे प्रत्यर्थी के साथ उत्तरदायी है। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत किसी भी आधार के अभाव में, यह संभव नहीं है कि

यह पता लगाने के लिए तथ्यों की जांच करें कि क्या कोई अलग निर्णय है

पहुँचा जा सकता है। "

34. इस बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ ही भारतीय कानून की मौलिक नीति का हिस्सा बनने वाले दो बुनियादी सिद्धांतों (कि मध्यस्थ का न्यायिक दृष्टिकोण होना चाहिए और उसे विकृत रूप से कार्य नहीं करना चाहिए) को समझना चाहिए।

18. यह इस स्तर पर है कि भारत के विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट के अनुसार कुछ बुनियादी बदलाव किए गए थे।

अगस्त 2014 की आयोग की रिपोर्ट]। विधि आयोग ने सबसे पहले 1996 के अधिनियम की प्रस्तावना में संशोधन का सुझाव दिया था।

कमियाँः

" प्रस्तावना में संशोधन उपरोक्त "आदर्श कानून और नियम" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँः

" और जहाँ इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है

घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक से संबंधित कानून

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों का मध्यस्थता और प्रवर्तन और सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करने के लिए, ताकि विवाद समाधान का एक निष्पक्ष, त्वरित और लागत प्रभावी साधन प्रदान किया जा सके। [नोटः यह संशोधन आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रदर्शन और पुष्टि करें

विवादों के समाधान में निष्पक्षता, गति और अर्थव्यवस्था के उद्देश्य

मध्यस्थता के माध्यम से।] " विधि आयोग की रिपोर्ट, जब इसे अलग करने की बात आई

विशिष्ट पुरस्कार और विदेशी पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन,

1996 के अधिनियम में कुछ परिवर्तन इस प्रकार किए गएः

" घरेलू पुरस्कारों की स्थापना और

विदेश की मान्यता/प्रवर्तन पुरस्कार

34. एक बार मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद, एक पीड़ित पक्ष आवेदन कर सकता है।

इस तरह के पुरस्कार को अलग रखने के लिए। अधिनियम की धारा 34 एक घरेलू पुरस्कार और एक घरेलू पुरस्कार को अलग करने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप एसएसएएनजीओएनजी होता है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से जबकि धारा 48 विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तों से संबंधित है। जैसा कि वर्तमान में अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है, अलग करने के लिए आधार (धारा 34 के तहत) और प्रवर्तन से इनकार करने के लिए शर्तें (धारा 48) समान सामग्री में हैं। अधिनियम, जैसा कि वर्तमान में इसका मसौदा तैयार किया गया है, इसलिए सभी तीन प्रकार के पुरस्कारों-विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार (यानी घरेलू पुरस्कार जो एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के परिणामस्वरूप नहीं है), एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में घरेलू पुरस्कार और एक विदेशी पुरस्कार-को समान मानता है। आयोग का मानना है कि इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की वैधता उन मामलों की तुलना में कहीं अधिक है जहां एक अदालत एक विदेशी पुरस्कार या एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक घरेलू पुरस्कार की शुद्धता की जांच कर रही है।

इस तरह के पुरस्कार को "पुरस्कार के सामने दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता" द्वारा दूषित किया जाता है। संतुलन प्रदान करने और अत्यधिक हस्तक्षेप से बचने के लिए, प्रस्तावित धारा 34 (2 ए) के प्रस्तावित परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या किसी अन्य प्रावधान द्वारा अलग नहीं किया जाएगा। सबूत की सराहना करते हुए "। आयोग का मानना है कि यह न्यायपालिका के साथ-साथ मध्यस्थता कानून के अन्य उपयोगकर्ताओं की आशंकाओं को शांत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा, जो उम्मीद करते हैं, और

हमारे देश में प्रचलित परिस्थितियाँ, वैध रूप से, अधिक

विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कारों के खिलाफ निवारण। यह ओ. एन. जी. सी. बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनपेक्षित परिणामों को भी समाप्त कर देगा। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705, जिसे विशुद्ध रूप से घरेलू पुरस्कार के संदर्भ में, अधिनियम की वैधानिक भाषा को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के साथ-साथ विदेशी पुरस्कारों से उत्पन्न होने वाले दोनों पुरस्कारों पर समान रूप से लागू होने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव पड़ा। ओ. एन. जी. सी. बनाम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार को हटाने के लिए इसी तरह धारा 28 (3) में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705-और इस क्रम में कि न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध की अवधि के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप निर्णय को रद्द करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आयोग का मानना है कि ऐसा कोई [2019] 7 एस. सी. आर. नहीं है।

धारा 28 (1) में संशोधन आवश्यक है क्योंकि

सार्वजनिक नीति आधार का प्रतिबंध।

36. यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने श्री लाल महल बनाम में निर्णय दिया है।

प्रोजेटो ग्रानो स्पा, (2014) 2 एस. सी. सी. 433, कि विस्तृत

सॉ पाइप्स में "सार्वजनिक नीति" शब्द को दिया गया निर्माण

समान शब्द "भारत की सार्वजनिक नीति" के उपयोग पर लागू नहीं हो सकता है।

धारा 48 (2) (बी) में, आयोग की सिफारिशें जाती हैं

और भी आगे और यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि की वैधता

विशुद्ध रूप से घरेलू में पेटेंट अवैधताओं को दूर करने के लिए अदालत का हस्तक्षेप

और वाक्यांश की एक विस्तृत परिभाषा के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से नहीं " सार्वजनिक नीति "।

37. इस संदर्भ में आयोग ने आगे सिफारिश की है दोनों धाराओं में "सार्वजनिक नीति" के दायरे का प्रतिबंध 34

और 48. यह परिभाषा के अनुरूप लाने के लिए है।

रेनुसागर विद्युत संयंत्र में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावित

कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 860 जहाँ उच्चतम न्यायालय ने खंड में "सार्वजनिक नीति" शब्द का अर्थ लगाते हुए

7 (1) (ख) (ii) विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 अभिनिर्धारित किया कि एक पुरस्कार सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा यदि ऐसा है

प्रवर्तन "(i) भारत की मौलिक नीति" के विपरीत होगा।

कानून; या (ii) भारत के हित; या (iii) न्याय या नैतिकता। द.

आयोग द्वारा प्रस्तावित सूत्रीकरण और भी कड़ा है और करता है

इसमें "भारत के हितों" का संदर्भ शामिल नहीं है, जो अस्पष्ट है।

और विशेष रूप से संदर्भ में व्याख्यात्मक दुरुपयोग करने में सक्षम है

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक से उत्पन्न होने वाले पुरस्कारों को चुनौती

आयोग के गठन पर एक पुरस्कार अलग रखा जा सकता है सार्वजनिक नीति केवल तभी आधार बनाती है जब वह "मौलिक" का विरोध करती है।

भारतीय कानून की नीति या यह अधिकांश बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

नैतिकता या न्याय "।

(जोर दिया गया)

19. नतीजतन, धारा 28,34 में परिवर्तन का सुझाव दिया गया था,

8 1996 के अधिनियम से। धारा 28 में संशोधन में निर्धारित किया गया था

नीचे दिए गए शब्दः

" धारा 28 का संशोधन

धारा 28 में, GYONG ENG।

16 .

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. नेशनल आयस ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

XXX XXX XXX उप-धारा (3) में, "न्यायाधिकरण निर्णय लेगा" शब्दों के बाद "के अनुसार" शब्दों को हटा देगा और "को ध्यान में रखते हुए" शब्दों को जोड़ देगा।

[ध्यान दें: इस संशोधन का उद्देश्य ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड के प्रभाव को निरस्त करना है। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705,

जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई

अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन फिर से होगा धारा 28 की अवहेलना करने वाले अधिनिर्णय में और परिणामस्वरूप

सार्वजनिक नीति के खिलाफ होना।] "

धारा 34 का अंतधारा 34 में,

उप-धारा (1) में "उप-धारा (2)" शब्दों के बाद जोड़ें।

शब्द ", उप-धारा (2 ए)"।

उप-धारा (2) में, "स्पष्टीकरण" शब्द के बाद। — ” "उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसे एतद्द्वारा" के लिए "घोषित किया जाता है" शब्दों को हटा दें और "के लिए" शब्द जोड़ें और

"किसी भी संदेह से बचने" शब्दों के बाद, "यह स्पष्ट किया गया है" शब्द जोड़ें और "भारत की सार्वजनिक नीति" शब्दों के बाद "केवल" शब्द जोड़ें और "यदि" शब्द के बाद "केवल" शब्द जोड़ें।

शब्द "_" और शब्द जोड़ें "। और "पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया गया था या" शब्दों से पहले उपखंड "(ए)" जोड़ें।

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित या उल्लंघन में था धारा 75 या धारा 81 "और शब्द जोड़ें"; या "के बाद

शब्द "धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन" और उप जोड़ें

खंड "(बी) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या" और उप-खंड जोड़ें "(सी) यह संघर्ष में है

नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ।

[नोट: प्रस्तावित स्पष्टीकरण II लाने की आवश्यकता है।

अनुरूपता में एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए मानक

रेनुसागर पावर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कं. लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644 और श्री लाल महल लिमिटेड बनाम। प्रोजेटो ग्रानो स्पा, (2014) 2 एस. सी. सी. 433, घरेलू और साथ ही पुरस्कारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता। ग्राउंड (सी) [2019] 7 एस. सी. आर. को दर्शाता है।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूत्रीकरण। इस तरह का एक सूत्र

रेनुसागर परीक्षण को और कड़ा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि

" नैतिकता या न्याय "-रेनुसागर में उपयोग किए गए शब्द-का उपयोग परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उप-धारा (2) में स्पष्टीकरण के बाद, उप-धारा "(2 ए) अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाला एक मध्यस्थ निर्णय सम्मिलित करें।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की तुलना में, भी निर्धारित किया जा सकता है

न्यायालय द्वारा अलग किया जाता है यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार के सामने पेटेंट अवैधता दिखाई देने से पुरस्कार दूषित हो गया है।

बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल अलग नहीं रखा जाएगा

कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या

साक्ष्य की पुनः सराहना करना "। [नोटः प्रस्तावित एस 34 (2 ए) एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक अतिरिक्त, हालांकि सावधानीपूर्वक सीमित, आधार प्रदान करता है।

घरेलू मध्यस्थता (और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं) से उत्पन्न होता है। समीक्षा का दायरा ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पेटेंट अवैधता मानक पर आधारित है। सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एस. सी. सी. 705। परंतुक कानून के गलत अनुप्रयोग और साक्ष्य के पुनः मूल्यांकन के लिए अपवाद पैदा करता है, जो पुरस्कारों को अलग करने का आधार नहीं हो सकता है।] XXX XXX "

धारा 48 का संबंध है, एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था

धारा 48 का अंत

धारा 48 में,

उप-धारा (2) में, स्पष्टीकरण में। — ” , "खंड (ख) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसे इसके लिए घोषित किया जाता है" शब्दों को हटा दें और "के लिए" शब्द जोड़ें और "किसी भी संदेह से बचना" शब्दों के बाद "इसे स्पष्ट किया जाता है" शब्द जोड़ें और "भारत की सार्वजनिक नीति" शब्दों के बाद "केवल" शब्द जोड़ें और "यदि" हटा दें "-" और "शब्द के बाद" उप-खंड "(क)" "" पुरस्कार देने "और" हटा दें "" शब्दों के पहले डालें। और "धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा" शब्दों के बाद "",; "जोड़ें और उपखंड जोड़ें" (बी) यह उल्लंघन में है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ; (ग) यह टकराव में है।

नैतिकता या न्याय के बारे में भारत की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ।

XXX XXX "

20. इस न्यायालय द्वारा पश्चिमी गेको (ऊपर) दिए जाने के बाद, ए

फरवरी 2015 की अनुपूरक रिपोर्ट ["पूरक रिपोर्ट"]भारत के विधि आयोग द्वारा पारित, जिसमें विधि आयोग आईः

" 10. विधि आयोग की 246 वीं रिपोर्ट और

पश्चिमी गेको में निर्णय। 10.1 . विधि आयोग ने 246 वीं रिपोर्ट में,

एक ही संकीर्ण मानक, अर्थात् कि केवल कानून का उल्लंघन भारत के मामलों में 'सार्वजनिक नीति' का उल्लंघन नहीं होगा

अधिनियम की धारा 34 में महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि रेनुसागर की स्थिति सभी पर लागू हो

मध्यस्थताएँ। घरेलू मध्यस्थता के संबंध में, आयोग ने सिफारिश की कि "पेटेंट अवैधता" परीक्षण को बनाए रखा जाए, हालांकि इसे सॉ पाइप्स शासन के तहत अधिक संकीर्ण रूप से माना जाए। इस संबंध में, धारा में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थेः

34 (2) (ख) (ii) और एक नया प्रावधान, धारा 34 (2 ए) पेश किया गया।

इन प्रावधानों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया हैः

धारा 34 (2) (बी) (ii) मध्यस्थता पुरस्कार जनता के साथ टकराव में है।

भारत की नीति।

स्पष्टीकरण। किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि एक पुरस्कार केवल भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है

यदिः

(क) पुरस्कार देना धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था;

(ख) यह भारत की मौलिक नीति का उल्लंघन है।

कानून; या

(ग) यह नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष में है या

न्याय।

(2 ए) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं के अलावा अन्य मध्यस्थताओं से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार को भी [2019] 7 एस. सी. आर. द्वारा अलग किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार पेटेंट द्वारा दूषित है

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली अवैधता। बशर्ते कि एक पुरस्कार को केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या फिर से अलग नहीं किया जाएगा।

सबूतों की सराहना करना।

10.2 . उपरोक्त संशोधनों का सुझाव इस धारणा पर दिया गया था कि "भारतीय कानून की मौलिक नीति" या "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ संघर्ष जैसे अन्य शब्दों का व्यापक रूप से अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

10.3 . हालाँकि, अगस्त 2014 में 246 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक महीने बाद, ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम. मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा "भारत की मौलिक नीति" शब्द का व्यापक रूप से अर्थ लगाया गया था। वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड, (2014) 9 एस. सी. सी. 263 सितंबर में एक पुरस्कार को शामिल करने के लिए जिस पर "कोई भी उचित व्यक्ति नहीं आया होगा"। इसने सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करने के आधार पर योग्यता के आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद एसोसिएट बिल्डर्स बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एस. सी. सी. 49 दिनांक 25.11.2014। पश्चिमी गेको में सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में:

35. तब सवाल यह है कि "भारतीय कानून की मौलिक नीति" क्या होगी। ओ. एन. जी. सी. [ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम. सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एस. सी. सी. 705] उस पहलू को विस्तार से नहीं बताता है। फिर भी, हमारी राय में, अभिव्यक्ति में शामिल होना चाहिए

एक आधार प्रदान करने के रूप में ऐसे सभी बुनियादी सिद्धांत

इस देश में न्याय का प्रशासन और कानून का प्रवर्तन। "भारतीय कानून की मौलिक नीति" अभिव्यक्ति के उद्देश्य को पूरी तरह से गिनने के अर्थ के बिना, हम तीन विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से भारतीय कानून के एक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए।

भारतीय कानून की मौलिक नीति। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक निर्धारण में चाहे वह अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा हो जो किसी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है या किसी नागरिक परिणाम की ओर ले जाता है, संबंधित अदालत या प्राधिकरण उस मामले में "न्यायिक दृष्टिकोण" नामक कानूनी बोलचाल को अपनाने के लिए बाध्य है। न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने का कर्तव्य एंग्योंग एंग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होता है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय IWAYS AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय या प्राधिकारी को अलग से या अतिरिक्त रूप से संबंधित मंचों पर नियुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निर्धारण में न्यायिक दृष्टिकोण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि जब तक न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण जो उनके सामने पक्षों के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित करने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वे न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, वे मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं। न्यायिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकरण ईमानदारी से कार्य करता है और

यह एक निष्पक्ष, उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से विषय है और इसका निर्णय किसी भी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं है। उस अर्थ में न्यायिक दृष्टिकोण खामियों और दोषों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है जो अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय को चुनौती के लिए असुरक्षित बना सकता है।

38. भारतीय कानून की नीति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और वास्तव में मौलिक सिद्धांत यह है कि एक अदालत और इसलिए एक अर्ध न्यायालय भी।

न्यायिक प्राधिकारी को अपने समक्ष पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना चाहिए। प्रसिद्ध ऑडी अल्टरम के अलावा

39. अब प्रशासनिक कानून में एक हितकारी न्यायिक मौलिक के रूप में मान्यता प्राप्त सिद्धांत कम महत्वपूर्ण नहीं है कि निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, उसे अदालत में कायम नहीं रखा जाएगा। निर्णयों की विकृति या तर्कहीनता का परीक्षण वेड्सबरी सिद्धांत की कसौटी पर किया जाता है।

[एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम वेडनेसबरी कार्पोरेशन (1948) 1 के. बी. 223, (1947) 2 ऑल ई. आर. 680 (सी. ए.)] ऑफ [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तर्कसंगतता अक्सर कानून की अदालत में चुनौती देने के लिए खुली होती है उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता लेकिन वैधानिक रूप से कम नहीं

प्रक्रियाएँ जहाँ भी उपलब्ध हों। 40. हमारे लिए प्रयास करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है

क्या होगा, इसकी विस्तृत गणना

एक परिभाषा के जलडमरूमध्य में अभिव्यक्ति। क्या है जरूरी हाथ में मामले के संदर्भ में यह है कि यदि तथ्यों पर साबित होता है

उनके सामने मध्यस्थ एक निष्कर्ष निकालने में विफल रहते हैं जो

तैयार किया जाना चाहिए था या यदि उन्होंने कोई निष्कर्ष निकाला है जो इसके चेहरे पर है, असमर्थनीय जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात होता है

न्याय, निर्णय तब भी जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है

जो काफी अक्षांश का आनंद लेता है और बनाने में जोड़ों पर खेलता है

पुरस्कार चुनौती देने के लिए खुले होंगे और उन्हें फेंक दिया जा सकता है या इस बात के आधार पर संशोधित किया गया है कि क्या अपमानजनक भाग है या है

बाकी से अलग नहीं किया जा सकता।

(मूल में जोर)

इसलिए, अन्य बातों के अलावा, तर्कसंगतता के वेड्सबरी सिद्धांत को अब सार्वजनिक नीति में शामिल किया गया है।

धारा 34 के तहत परीक्षण, क्योंकि इसे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" का हिस्सा माना जाता है।

10.4 . योग्यता के आधार पर किसी पुरस्कार की समीक्षा करने की ऐसी शक्ति अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के उद्देश्य के विपरीत है। जैसा कि 1996 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में ही कहा गया है, उस कानून के प्रमुख उद्देश्यों में से एक "न्यायिक व्यवस्था को न्यूनतम करना" था।

हस्तक्षेप "[1996 का अधिनियम, उद्देश्यों और कारणों का विवरण, पैराग्राफ 4 (v)]।

(जोर दिया गया)

10.5 . चूंकि पश्चिमी गेको (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्यायालय की शक्ति को कम करने के बजाय उसका विस्तार करेगा, और यह देखते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के विपरीत भी है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्टीकरण को शामिल करने की आवश्यकता है कि "भारतीय कानून की मौलिक नीति"

शब्द का संकीर्ण अर्थ निकाला जाए। यदि नहीं, तो "सार्वजनिक नीति" शब्द के निर्माण के संबंध में विधि आयोग द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को निरर्थक बना दिया जाएगा।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सार्वजनिक नीति के लिए वेड्सबरी सिद्धांतों की प्रयोज्यता निश्चित रूप से बाढ़ के द्वार खोल देगी।

10.6 . इसका चार प्रमुख हानिकारक प्रभाव होंगे, (ए) ए

मध्यस्थता कार्यवाही में विश्वास का और क्षरण

भारत और विदेशों में व्यक्ति और व्यवसाय; (बी) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत की लोकप्रियता में कमी; (सी) निवेशकों की चिंता में वृद्धि,

घरेलू और विदेशी निवेशक, विवाद समाधान की प्रभावकारिता और गति और न्यायिक हस्तक्षेप की क्षमता के बारे में; और, (घ) न्यायिक बैकलॉग में आकस्मिक वृद्धि। इस संबंध में, मसौदे में निम्नलिखित संशोधन का सुझाव दिया गया है।

अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) (ii) का स्पष्टीकरण 2:

" संदेह से बचने के लिए यह परीक्षण किया जाएगा कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है।

विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

21. विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1996 के अधिनियम को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा 23.10.2015 से प्रभावी किया गया था। मध्यस्थता और सुलह के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अंत) विधेयक, 2015 निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

“ XXX XXX XXX

2. इस अधिनियम को कम से कम अदालत के हस्तक्षेप के साथ मध्यस्थता से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। समय बीतने के साथ, अधिनियम की प्रयोज्यता में कुछ कठिनाइयाँ देखी गई हैं। कुछ मामलों में अदालतों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के परिणामस्वरूप मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे में देरी हुई है और मध्यस्थता में अदालतों का हस्तक्षेप बढ़ा है। ऐसे मामले, जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देते हैं। कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मामले को भारत के विधि आयोग को भेजा गया, जिसने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की और अपनी 176 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर,

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003

22-12-2003 पर राज्यसभा में पेश किया गया। उक्त विधेयक था

विभाग-संबंधित संसदीय स्थिति को संदर्भित किया गया

परीक्षण और रिपोर्ट के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति। उक्त समिति ने 4-8-2005 पर संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें समिति ने सिफारिश की कि चूंकि उक्त विधेयक के कई प्रावधान विवादास्पद थे, इसलिए [2019] 7 एस. सी. आर.

उसकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद। तदनुसार, उक्त विधेयक राज्यसभा से वापस ले लिया गया।

3. उपरोक्त के अनुसरण में फिर से किए गए संदर्भ पर,

अगस्त, 2014 में उन्होंने अधिनियम में विभिन्न संशोधनों की सिफारिश की। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से सुविधा होगी और

वैकल्पिक विवाद तंत्र, विशेष रूप से मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना,

विवादों के निपटारे के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी और मामलों का त्वरित निपटान क्योंकि भारत प्रतिबद्ध है

मामलों के निपटारे में बाधा डालने के लिए अपने कानूनी ढांचे में सुधार करना।

अनुबंध प्रवर्तन में, यह उचित समय है कि तत्काल कदम उठाए जाएं अनुबंधों के त्वरित प्रवर्तन, आसान वसूली की सुविधा के लिए

मौद्रिक दावे और नुकसान के लिए उचित मुआवजे का पुरस्कार

पीड़ित हुए और अदालतों में लंबित मामलों को कम किया और जल्दबाजी की

मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया, ताकि

निवेश और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

5. चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल कदम उठाए गए थे आवश्यक संशोधन करने के लिए आवश्यक

विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

भारत को एक निवेशक अनुकूल देश के रूप में पेश करके

कानूनी ढांचा, राष्ट्रपति को जारी करने के लिए प्रसन्न था

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015।

XXX XXX "

(जोर दिया गया)

संशोधन अधिनियम से पहले धारा 28 (3) का पाठ इस प्रकार है:

" 28. विवाद के सार पर लागू नियम।

XXX XXX XXX (3) सभी मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसके अनुसार निर्णय लेगा।

अनुबंध की शर्तों के साथ और ध्यान में रखा जाएगा लेन-देन पर लागू व्यापार के उपयोग। सैंग्योंग इंग.

& कॉन्स्ट, को. लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

28 (3) पर, संशोधन के बाद, इस प्रकार हैः

(3) निर्णय लेते और निर्णय देते समय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सभी मामलों में, अनुबंध की शर्तों और लेन-देन पर लागू ट्रे उपयोगों को ध्यान में रखें।

34 (2) (बी) (ii) में, संशोधन के बाद, इस प्रकार हैः

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।

XXX XXX XXX (2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

XXX XXX XXX

(ख) न्यायालय ने पाया कि

स्पष्टीकरण 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया कि एक पुरस्कार सार्वजनिक पुलिस के साथ संघर्ष में है

भारत का, केवल अगर,
(i) पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया गया था या प्रभावित किया गया था बी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या धारा 75 का उल्लंघन था

धारा 81; या

((ii) यह मौलिक नीति का उल्लंघन है।

भारतीय कानून; या

((iii) यह नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

या न्याय।

स्पष्टीकरण 2. - संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति के साथ कोई उल्लंघन है, के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं होगी।

विवाद।

XXX XXX "

धारा 34 की उप-धारा (2 ए) भी जोड़ी गई थी, जो इस प्रकार हैः

बनाम ः

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।

XXX XXX XXX

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं को भी न्यायालय द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुरस्कार के सामने आने वाली पेटेंट अवैधता से पुरस्कार दूषित हैः बशर्ते कि कोई पुरस्कार केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के आधार पर या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन द्वारा अलग नहीं किया जाएगा।

XXX XXX "

तदनुसार, धारा 48 में भी संशोधन किया गया था

धारा 34 में किए गए संशोधनों के अनुरूप धारा 48 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि धारा 34 की उप-धारा (2 ए) धारा 48 में गायब है क्योंकि आई. डी. धारा विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है। 48 पर, संशोधन के बाद, इस प्रकार हैः

" 48. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें।

XXX XXX XXX (2) मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन से भी इनकार किया जा सकता है यदि न्यायालय को पता चलता है कि

स्पष्टीकरण 1. किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है, केवल अगर,

(i) पुरस्कार का निर्माण धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था या धारा 75 या धारा 81 का उल्लंघन था; या
((ख) यह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है; या

((iii) यह नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ टकराव में है।

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

स्पष्टीकरण 2. — संदेह से बचने के लिए, यह परीक्षण कि क्या भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हुआ है, विवाद के गुण-दोष पर समीक्षा नहीं करेगा। XXX XXX "

23. अतः जो बात स्पष्ट है वह यह है कि "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति, चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब लागू होगी।

(उपर्युक्त), अब इस आधार पर कि मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं करेगा, न्यायालय का हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसकी संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, के सिद्धांतों के रूप में

प्राकृतिक न्याय का संबंध है, जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित है, ये एक पुरस्कार को चुनौती देने के आधार बने हुए हैं। जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) के पैराग्राफ 30 में निहित है।

24. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तक्षेप का आधार जहां तक "भारत के हित" से संबंधित है, तब से हटा दिया गया है, और इसलिए, अब प्राप्त नहीं होता है। समान रूप से, इस आधार पर हस्तक्षेप का आधार कि पुरस्कार न्याय या नैतिकता के साथ टकराव में है, अब "नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के साथ टकराव के रूप में समझा जाना चाहिए। यह फिर से एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 36 से 39 के अनुरूप होगा, क्योंकि यह केवल ऐसे मध्यस्थ पुरस्कार हैं जो अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं जिन्हें इस आधार पर दरकिनार किया जा सकता है।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत की सार्वजनिक नीति का अब पहला अर्थ यह है कि एक घरेलू पुरस्कार मौलिक नीति के विपरीत है।

भारतीय कानून, जैसा कि एसोसिएट के पैराग्राफ 18 और 27 में समझा गया है बिल्डर (ऊपर), या दूसरा, कि ऐसा पुरस्कार न्याय या नैतिकता की बुनियादी धारणाओं के खिलाफ है जैसा कि एसोसिएट के पैराग्राफ 36 से 39 में समझा गया है।

बिल्डर (ऊपर)। धारा 34 (2) (बी) (ii) में स्पष्टीकरण 2 और धारा 48 (2) (बी) (ii) में स्पष्टीकरण 2 को केवल संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था ताकि पश्चिमी गेको (उपरोक्त), जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपर्युक्त) में समझा गया है,

और विशेष रूप से अनुच्छेद 28 और 29 को अब समाप्त कर दिया गया है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. जहाँ तक भारत में किए गए घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ी गई उप-धारा (2 ए) के तहत अब एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है। यहाँ, पेटेंट अवैध होना चाहिए

पुरस्कार के चेहरे पर प्रकट होना, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करता है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो मात्र नहीं है

कानून का गलत अनुप्रयोग। संक्षेप में, जिसे "भारतीय कानून की मौलिक नीति" में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़े किसी क़ानून का उल्लंघन, जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है, तो पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है।

27. दूसरा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि एक अपीलीय अदालत को करने की अनुमति है।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के आधार पर। 28. यह स्पष्ट करने के लिए, एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) का अनुच्छेद 42.1, अर्थात्, भारत के मूल कानून का केवल उल्लंघन, अब मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए उपलब्ध आधार नहीं है। एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) का अनुच्छेद 42.2, हालांकि, बना रहेगा, क्योंकि यदि कोई मध्यस्थ किसी निर्णय के लिए कोई कारण नहीं देता है और 1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) का उल्लंघन करता है, तो यह निश्चित रूप से पेटेंट पर अवैधता के बराबर होगा।

पुरस्कार का चेहरा। 29. संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 28 (3) में किया गया परिवर्तन वास्तव में एसोसिएट में पैराग्राफ 42.3 से 45 में बताए गए परिवर्तन का अनुसरण करता है।

बिल्डर (ऊपर), अर्थात्, कि किसी अनुबंध की शर्तों का निर्माण मुख्य रूप से एक मध्यस्थ को तय करना है, जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है कि कोई भी निष्पक्ष या उचित व्यक्ति; संक्षेप में, कि मध्यस्थ का दृष्टिकोण लेने के लिए एक संभावित दृष्टिकोण भी नहीं है। इसके अलावा, यदि मध्यस्थ अनुबंध से बाहर भटकता है और उन मामलों से निपटता है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वह अधिकार क्षेत्र की त्रुटि करता है। चुनौती का यह आधार अब धारा 34 (2 ए) के तहत जोड़े गए नए आधार के भीतर आएगा।

30. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो विकृत है,

जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 31 और 32 में समझा गया है, जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती का आधार नहीं है, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगी। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एसएसएएनजीओएनजी के पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक खोज।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थ द्वारा पक्षकार बिना किसी साक्ष्य के निर्णय के रूप में भी अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा। 31. इस तथ्य को देखते हुए कि संशोधित अधिनियम अब लागू होगा, और यह कि "पेटेंट अवैधता" मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने के लिए आधार है

धारा 34 (2) (ए) गुण-दोष पर मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती नहीं देती है। 32. धारा 34 (2) (ए) (iii) और (iv) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया हैः

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। XXX XXX XXX

(2) एक मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब

(क) आवेदन करने वाला पक्ष इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि

XXX XXX XXX

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था;

या

((iv) मध्यस्थता पुरस्कार एक ऐसे विवाद से संबंधित है जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है या नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैंः

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो केवल मध्यस्थता पुरस्कार का वह हिस्सा जिसमें शामिल हैं - मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णयों को अलग रखा जा सकता है; या

XXX XXX "

33. रेनुसागर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने विदेशी पुरस्कारों (मान्यता और सम्मान) की धारा 7 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती दी थी।

प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 [विदेशी पुरस्कार अधिनियम]। विदेशी पुरस्कार [2019] 7 एस. सी. आर.

1996 के अधिनियम द्वारा तब से अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 में ऐसे आधार हैं जो विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 ["न्यूयॉर्क कन्वेंशन"] के अनुच्छेद V से उधार लिए गए थे, जो लगभग 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 48 के समान हैं, उक्त निर्णय न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है जब यह विदेशी पुरस्कारों या भारत में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की बात आती है, धारा 34 और 48 के तहत प्रवर्तन को चुनौती देने/अस्वीकार करने के आधार। क्रमशः एक ही होने के नाते। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने धारा 34/48 (विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 के तहत आधारों के बराबर, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था) के तहत आधारों की जांच के दायरे को रेखांकित किया और कहाः

" 34. 1927 के जिनेवा समझौते के तहत, प्राप्त करने के लिए

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन, अनुच्छेद I के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा करना था

और अनुच्छेद II में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही शर्तें रखी गई हों

यदि न्यायालय खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट होता है तो पुरस्कार से इनकार कर दिया जाएगा। ये सिद्धांत जो विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होते हैं

सार में, सामान्य कानून में अंग्रेजी अदालतों द्वारा अपनाए गए लोगों के समान हैं। (देखिएः डाइसी एंड मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 वां संस्करण। , खण्ड. आई, पी। 578) . हालाँकि, यह महसूस किया गया कि जिनेवा

कन्वेंशन को कुछ दोषों का सामना करना पड़ा जिसने बाधा उत्पन्न की

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का त्वरित निपटान। न्यूयॉर्क कन्वेंशन विदेशी पुरस्कारों की मान्यता प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिए एक अधिक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करके उक्त दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। न्यूयॉर्क के तहत कन्वेंशन वह पक्ष जिसके खिलाफ पुरस्कार की मांग की जाती है

लागू विदेशी की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आपत्ति कर सकते हैं

अनुच्छेद 5 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) में निर्धारित आधारों पर अधिनिर्णय और न्यायालय अपने प्रस्ताव पर मान्यता से इनकार कर सकता है।

और दो अतिरिक्त कारणों से एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट किया गया है। खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) और अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट कोई भी आधार गुण-दोष के आधार पर पुरस्कार को चुनौती नहीं देता है।

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग ने अपने ग्रंथ द न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1958 में कहाः एक समान न्यायिक व्याख्या की दिशा में, उन्होंने यह विचार व्यक्त किया हैः

" यह कन्वेंशन की आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है कि जिस न्यायालय के समक्ष विदेशी कानून का प्रवर्तन किया जाता है। पुरस्कार की मांग की जाती है तो पुरस्कार के गुणों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। मुख्य कारण यह है कि इनकार करने के लिए आधारों की विस्तृत सूची

अनुच्छेद V में उल्लिखित प्रवर्तन में शामिल नहीं है

वास्तव में गलती या मध्यस्थ द्वारा कानून। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या अनुच्छेद 5 (1) से इनकार करने के आधारों के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति उचित है और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसके देश की कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा। इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के सिद्धांत के आलोक में देखा जाना चाहिए कि एक राष्ट्रीय न्यायालय

मध्यस्थता के सार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (पी। 269)

36. इसी तरह एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने कहा हैः

" न्यूयॉर्क कन्वेंशन उस पुरस्कार के गुण-दोष पर किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है जिस पर कन्वेंशन लागू होता है और इसलिए, इस संबंध में, एक पुरस्कार की चुनौती को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय कानून की कुछ प्रणालियों के प्रावधानों से अलग है, जहां अदालतों में अपील की अनुमति दी जा सकती है। (रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल

वाणिज्यिक मध्यस्थता, द्वितीय संस्करण। , पी। 461.)

37. इसलिए, हमारी राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की कार्यवाही में, अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है और यह उक्त कार्यवाही में एक पक्ष को गुण-दोष के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है।

XXX XXX XXX 65. इसका तात्पर्य यह होगा कि सार्वजनिक नीति की रक्षा जो धारा 7 (1) (बी) (ii) के तहत अनुमेय है, को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि [2019] 7 एस. सी. आर.

1927 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के अनुच्छेद I (e) में मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन पर आपत्ति उठाने की अनुमति है।

इस आधार पर कि पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसी प्रभाव के लिए 1837 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या भारत के कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। चूँकि "सार्वजनिक नीति" शब्द उस क्षेत्र को शामिल करता है जो "और भारत के कानून" शब्दों द्वारा कवर नहीं किया गया है जो उक्त अभिव्यक्ति का पालन करते हैं, अकेले कानून का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करेगा।

और कानून के उल्लंघन से कुछ अधिक की आवश्यकता है।

" धारा 7 (1) (बी) (बी) में सार्वजनिक नीति का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार के प्रवर्तन को भारत के कानून के उल्लंघन से कुछ अधिक का आह्वान करना चाहिए। चूंकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है

जो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का अनिवार्य रूप से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए -

सार्वजनिक नीति का सिद्धांत निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू किया जाता है। उक्त मानदंडों को लागू करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि सार्वजनिक नीति के विपरीत यदि ऐसा प्रवर्तन (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii) भारत के हितों; या (iii) न्याय या नैतिकता के विपरीत होगा।

(जोर दिया गया)

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]इस निर्णय को निगेल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टसाइड्स, रेडफर्न और मार्टिन हंटर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, फिफ्थ एड,) ["रेडफर्न एंड हंटर"] द्वारा रेडफर्न और हंटर टेरनेशनल आर्बिट्रेशन में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया थाः

" 11.56 . पहला, न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी भी तरह की अनुमति नहीं देता है।

एक पुरस्कार के गुणों पर समीक्षा जिस पर कन्वेंशन लागू होता है। [यह कथन, जो इस पुस्तक के पहले के संस्करण में दिया गया था, तब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक कं. अदालत ने कहा कि उसकी राय में 'अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की गई है, [अधिनियम में उल्लिखित आधारों तक] सीमित है और उक्त कार्यवाही के किसी पक्ष को योग्यता के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है'। मॉडल भी नहीं

कानून "।

यही विषय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर मानक पाठ्यपुस्तकों में प्रतिध्वनित होता है। इस प्रकार, गैरी बी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में।

(वोल्टर्स क्लूवर, सेकंड एड., 2014) ["गैरी बोर्न"], विद्वान या मामले के इस पहलू से इस प्रकार निपटते हैंः

" [12] विदेशी या गैर-विदेशी के गुणों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं मान्यता कार्यों में घरेलू पुरस्कार

यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक लगभग पवित्र सिद्धांत है कि अदालतें मान्यता कार्यवाही में विदेशी या गैर-घरेलू मध्यस्थता पुरस्कारों में निहित मध्यस्थों के निर्णयों के सार की समीक्षा नहीं करेंगी। वस्तुतः प्रत्येक प्राधिकारी इस नियम को स्वीकार करता है और वस्तुतः कोई भी यह सुझाव नहीं देता है कि इस सिद्धांत को त्याग दिया जाना चाहिए।

जब राष्ट्रीय न्यायालय पुरस्कारों के गुणों की समीक्षा करते हैं, तो वे गुणों की समीक्षा को उचित ठहराने के बजाय अपनी कार्रवाई को सार्वजनिक नीति, अधिकार की अधिकता, या किसी अन्य अनुच्छेद V अपवाद के अनुप्रयोग के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं।

[ए] न्यूयॉर्क और इंटर के तहत पुरस्कारों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

अमेरिकी समझौते

न तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन और न ही इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन में कोई अपवाद है जो किसी निर्णय को लागू न करने की अनुमति देता है क्योंकि मध्यस्थों को इस पर अपना निर्णय मिल गया था। पक्षों के विवाद का सार गलत है, या यहाँ तक कि बुरी तरह से गलत भी है।

यह कन्वेंशन, [2019] 7 एस. सी. आर. की भाषा से स्पष्ट है।

जो विशेष आधारों की अनुच्छेद V की विस्तृत सूची में गुणों की समीक्षा की संभावना का कोई संदर्भ नहीं देता है विदेशी और गैर-घरेलू पुरस्कारों को मान्यता देने से इनकार करना। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के इतिहास के मसौदे में मान्यता कार्यवाही में मध्यस्थता पुरस्कार के गुणों पर पुनर्विचार करने के लिए किसी भी प्राधिकरण का कोई संकेत नहीं है।

इसी तरह, मध्यस्थ के निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा के खिलाफ निषेध सबसे बुनियादी स्तंभों में से एक है

कन्वेंशन की व्याख्या करने वाला राष्ट्रीय न्यायालय प्राधिकरण। इस निषेध की बार-बार और समान रूप से राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा सामान्य कानून और नागरिक कानून दोनों क्षेत्राधिकारों में पुष्टि की गई है। सीधे शब्दों में: " न्यायालय केवल इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है कि मध्यस्थ ने कानून या तथ्य की गलती की हो सकती है। पेरुसाहान पेर्टाम्बंगन

मिन्याक दान गैस बुमी नेगारा, 364 एफ. 3 डी 274,287-88 (5 वां सिर। 2004)]। इस प्रकार, लक्ज़मबर्ग सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में [24 नवंबर 1993 का निर्णय, XXI Y. B. कॉम। अरब। 617 , 623 (लक्समबर्ग कोर्ट सुपरियर डी जस्टिस) (1996)]:

" न्यूयॉर्क कन्वेंशन में उस तरीके पर किसी भी नियंत्रण का प्रावधान नहीं है जिसमें मध्यस्थ गुण-दोष पर निर्णय लेते हैं, जिसमें एकमात्र आरक्षण के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति का सम्मान है। भले ही स्पष्ट रूप से, तथ्य या कानून की गलती, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, तो इसे लागू करने से इनकार करने का आधार नहीं है। न्यायाधिकरण का पुरस्कार "।

या, आयोजित कन्वेंशन के तहत एक ब्राजीलियाई मान्यता निर्णय के रूप में [19 अगस्त 2009 का निर्णय, एटेक मैनसमैन जीएमबीएच बनाम। रॉड्रीमार एस/ए ट्रांसपोर्टेस इक्विपमेंटोस इंडस्ट्रीज़ ई आर्माज़ेस गेरैस, एक्सएक्सएक्सवी वाई. बी. कॉम। अरब। 330 , 331 (ब्राजीलियाई न्यायाधिकरण डी जस्टिका) (2010)]:

" ये प्रश्न मध्यस्थता पुरस्कार के गुणों से संबंधित हैं कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय और इस सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि किसी विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन औपचारिक आवश्यकताओं के विश्लेषण तक सीमित है।

पुरस्कार "। सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

टिप्पणीकारों ने समान रूप से एक ही दृष्टिकोण अपनाया है

कन्वेंशन [देखें, उदाहरण के लिए, के. एच. बॉकस्टीगल, एस. क्रॉल और पी. Nacimiento, जर्मनी में मध्यस्थता 452 (2007)] "।

(पीपी में। 3707-3710)

(जोर दिया गया)

इसी तरह, कन्वेंशन पर UNCITRAL सचिवालय गाइड

विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन (नया

ओर्क, 1958) (2016 संस्करण) ["न्यूयॉर्क आविष्कार पर UNCITRAL गाइड"] भी कहता हैः

" 9. अनुच्छेद V के तहत इनकार करने के आधारों में एक शामिल नहीं है

कानून में या वास्तव में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा गलत निर्णय। ए.

न्यायाधिकरण का निर्णय। इस सिद्धांत की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई है न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर मुकदमा कानून और टिप्पणी "।

धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत चुनौती का आधार

34. धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत, चुनौती के आधारों में से एक

मध्यस्थता पुरस्कार यह है कि एक पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ है। इसके लिए

1996 सी. टी. की धारा 34 (2) (ए) (iii), धारा 18 के महत्व को भी देखा जाना चाहिए। धारा 18 इस प्रकार हैः

" 18. पक्षों के साथ समान व्यवहार। पक्षों का इलाज किया जाएगा समानता के साथ और प्रत्येक पक्ष को पूरा अवसर दिया जाएगा

अपना मामला प्रस्तुत करें।

(जोर दिया गया)

अधिनियम 24 (3) में यह भी कहा गया हैः

दूसरे पक्ष को सूचित किया गया, और कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट या साक्ष्य दस्तावेज जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण भरोसा कर सकता है

अपना निर्णय लेने के बारे में पक्षों को सूचित किया जाएगा। "[2019] 7 एस. सी. आर.

1996 के अधिनियम की धारा 26 भी महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार बताती हैः

" 26. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ। (1) जब तक कि

अन्यथा पक्षकारों द्वारा सहमत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कर सकता है -

(क) विशिष्ट मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए एक या अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त करें।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना; और

(ख) विशेषज्ञ को कोई भी प्रासंगिक जानकारी देने के लिए एक पक्ष की आवश्यकता होती है।

या किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज़ का उत्पादन करने या उन तक पहुँच प्रदान करने के लिए,

उसके निरीक्षण के लिए माल या अन्य संपत्ति।

(2) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, यदि कोई पक्ष ऐसा अनुरोध करता है या यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसे आवश्यक समझता है, तो विशेषज्ञ - उसकी लिखित या मौखिक रिपोर्ट देने के बाद, एक मौखिक सुनवाई में भाग लें, जहां पक्षों को उससे सवाल करने और मामले पर गवाही देने के लिए विशेषज्ञ गवाहों को पेश करने का अवसर मिलता है।

मुद्दे पर बिंदु।
(3) जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, विशेषज्ञ, किसी पक्ष के अनुरोध पर, उस पक्ष को उस विशेषज्ञ के कब्जे में सभी दस्तावेजों, वस्तुओं या अन्य संपत्ति की जांच के लिए उपलब्ध कराएगा, जिसके साथ उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदान किया गया था।

35. धारा 24 (3) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 24 (3) का एक शाब्दिक पुनरुत्पादन है। [" UNCITRAL मॉडल लॉ "]। इसी तरह, धारा 26 (1) और (2) UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 26 का शाब्दिक पुनरुत्पादन है।

उसका मामला। धारा 24 (3) के तहत, एक पक्ष द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रदान किए गए सभी बयान, दस्तावेज या अन्य जानकारी दूसरे पक्ष को सूचित किया जाता है, और कोई भी विशेषज्ञ रिपोर्ट या दस्तावेज़ जिस पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना निर्णय लेने में निर्भर करता है

पक्षों को सूचित किया। धारा 26 इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जब किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है, तो उक्त रिपोर्ट और विशेषज्ञ के कब्जे में सभी दस्तावेज, सामान या अन्य संपत्ति, जिसके साथ उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदान किया गया था, पहले किसी भी पक्ष को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो इन चीजों के लिए अनुरोध करता है। दूसरा, एक बार रिपोर्ट पर पहुंचने के बाद, यदि अनुरोध किया जाता है, तो पक्षकारों को एस. एस. ए. एन. जी. ए. एन. जी.

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसे सवाल पूछने और मुद्दे के बिंदुओं पर गवाही देने के लिए अपने स्वयं के विशेषज्ञ गवाहों को पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

37. एक पक्ष के अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण, इस विषय पर मानक पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है कि कहाँ

न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों की पीठ के पीछे सामग्री ली जाती है, जिस पर पक्षों को टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिला है, धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत आधार बनाया जाएगा। विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन में - डॉ. रेनमार वोल्फ (सी. एच. बेक, हार्ट, नोमोस पब्लिशिंग, 2012) द्वारा संपादित टिप्पणी में कहा गया हैः

" 4. टिप्पणी करने का अधिकार
उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार, न्यायाधिकरण को पक्षों को सभी तथ्यात्मक और कानूनी बातों पर टिप्पणी करने का अवसर देना चाहिए

ऐसी परिस्थितियाँ जो मध्यस्थों के निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं।

क) साक्ष्य और तर्कों पर टिप्पणी करने का अधिकार
दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया

टिप्पणी करने के उनके अधिकार के हिस्से के रूप में, पक्षों को साक्ष्य और तर्कों पर राय देने का अवसर दिया जाना चाहिए।
दूसरे पक्ष द्वारा कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया। का अधिकार

प्रतिपक्ष की प्रस्तुतियों पर टिप्पणी को प्रतिकूल कार्यवाही का एक मौलिक सिद्धांत माना जाता है। हालांकि, इसमें
कार्यकारणिता की सामान्य आवश्यकता के अनुसार, किसी विशेष साक्ष्य या तर्क पर टिप्पणी करने के अवसर से इनकार करना प्रतिकूल नहीं है, जब तक कि न्यायाधिकरण अपना निर्णय लेने में इस साक्ष्य या तर्क पर भरोसा नहीं करता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पक्ष प्रभावी ढंग से टिप्पणी करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। किसी पक्ष को प्रस्तुत करने या देने का अवसर प्रदान करना

विरोधी पक्ष के दावों और तर्कों के बारे में सूचित किए बिना इसका दृष्टिकोण आम तौर पर उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, जब तक कि

विशिष्ट गैर-प्रकटीकरण नियम लागू होते हैं (उदाहरण के लिए, इस तरह के प्रकटीकरण से व्यापार रहस्य या लागू कानूनी विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा)।

व्यवहार में, राष्ट्रीय न्यायालयों ने मध्यस्थता न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की है।

प्रक्रियाओं की स्थापना और समायोजन में काफी छूट

जिसके द्वारा पक्ष एक दूसरे की प्रस्तुतियों का जवाब देते हैं और [2019] 7 एस. सी. आर.

साक्ष्य, यह तर्क देते हुए कि "संचालन के कई तरीके थे

मध्यस्थता कार्यवाही "। तदनुसार, कोई विशिष्ट समझौता नहीं

पक्षकारों द्वारा, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास व्यवस्था करने में व्यापक विवेकाधिकार है पक्षों को टिप्पणी करने, अनुमति देने या बाहर करने का अधिकार

नए दावों की शुरूआत, और यह निर्धारित करना कि किस पक्ष के पास हो सकता है

अंतिम शब्द। ख) ज्ञात या निर्धारित साक्ष्य पर टिप्पणी करने का अधिकार

न्यायाधिकरण द्वारा

पक्षों का टिप्पणी करने का अधिकार उन तथ्यों तक भी फैला हुआ है जो

पक्षकारों द्वारा कार्यवाही में पेश नहीं किया गया है, लेकिन

कि न्यायाधिकरण ने स्वतः संज्ञान लिया है, बशर्ते कि वह इसका हकदार था

ऐसा करें। उदाहरण के लिए, यदि न्यायाधिकरण ने "अदालत से बाहर" लाभ प्राप्त किया

परिस्थितियों का ज्ञान (जैसे, अपने स्वयं के माध्यम से)

जाँच), यह केवल उन परिस्थितियों पर अपना निर्णय ले सकता है यदि यह दोनों पक्षों को पहले से सूचित करता है और उन्हें प्रदान करता है

उस पर टिप्पणी करने का अवसर। यही नियम मामलों पर भी लागू होता है।

जहाँ एक मध्यस्थ अपने स्वयं के आधार पर पुरस्कार देने का इरादा रखता है

विशेषज्ञ ज्ञान, जब तक कि मध्यस्थ को उसके लिए नियुक्त नहीं किया गया था

या उसकी विशेष विशेषज्ञता या ज्ञान (जैसे, गुणवत्तापूर्ण मध्यस्थता में)।

सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर यदि वह अपने निर्णय को आधार बनाने का इरादा रखता है उन तथ्यों पर, जब तक कि पक्षों को पता न हो कि वे

तथ्य अंतिम पुरस्कार के लिए निर्णायक हो सकते हैं।

(मूल में जोर)

अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन पर फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन में

राशन (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 1999) ["फौचार्ड"] में कहा गया हैः

" कुछ दुर्लभ मामलों में, किसी पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन

उदाहरण एक गुणवत्ता मध्यस्थता में किया गया पुरस्कार है जहाँ प्रतिवादी को मध्यस्थों की पहचान के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया था

विवाद की सुनवाई [डेनिश खरीदार बनाम जर्मन (एफ. आर.) विक्रेता, IV

वाई. बी. कॉम. अरब। 258 (1979) (ओबरलैंडेसगेरिच्ट कोलोन)]। यह.

[जी. डब्ल्यू. आई. केर्स्टन एंड कंपनी बी. वी. वी. सोसायटी कमर्शियल राउल दुवल और कंपनी, XIX Y. B. com. अरब। 708 (एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ़ अपील्स)

(1992)] , एक अन्य मामले में जहां प्रतिवादी को एस. ए. एन. जी. ए. एन. जी. ए. एन. जी. नहीं दिया गया था।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का अवसर न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त [पाकलिटो इनव। लिमिटेड वी. क्लॉक्नर ईस्ट

एशिया लिमिटेड, XIX Y. B. कॉम. अरब। 664 , 671 (सर्वोच्च न्यायालय का

हांगकांग) (1994)], और फिर जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने आलोचना की

साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक तरीका नियोजित करने के लिए एक पक्षकार

जिसे न्यायाधिकरण ने स्वयं सुझाव दिया था [ईरान एयरक्राफ्ट इंडस। वी.

एवको कार्पोरेशन। , 980 एफ. 2 डी 141 (दूसरा सिर। 1992)] "।

(पी

पर। 987)

बोर्न (ऊपर) कहता हैः

" जर्मन अदालतों ने इसी तरह के तर्क को अपनाया है, जिसमें कहा गया है कि सुनवाई के अधिकार में अधिकारों के दो संबंधित समूह शामिल हैंः ((a) एक पार्टी है

तथ्य और कानून के विवादित मुद्दों पर अपनी स्थिति प्रस्तुत करने का हकदार,

अन्य पक्षों की स्थिति के बारे में सूचित किया जाना और

पक्षकारों को ज्ञात साक्ष्य या सामग्री के आधार पर निर्णय [देखें,

उदाहरण के लिए, 5 जुलाई 2011 का निर्णय, 34 एससीएच 09/11, II (5) (सी) (बीबी)

(ओबरलैंडेसगेरिच्ट मुन्चेन)]; और (बी) एक पक्ष एक का हकदार है मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय जो अपनी स्थिति को ध्यान में रखता है

जहाँ तक प्रासंगिक हो [देखें, उदाहरण के लिए, 5 अक्टूबर 2009 का निर्णय, 34

एससीएच 12/09 (ओबरलैंडेसगेरिच्ट मुन्चेन)]। अन्य प्राधिकरण

होने के अधिकार की सामग्री के तुलनीय सूत्रीकरण प्रदान करें सुना [देखें, उदाहरण के लिए, स्लेनी बनाम। इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फाउंडेशन,

244 एफ. 3 डी 580,592 (7 वां सिर। 2001)] "।

(पी पर।

3225)

अर्ली, रेडफर्न एंड हंटर (ऊपर) मेंः

" 11.73 . प्रवर्तन के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायालय ने इस प्रकार एक

सीमित भूमिका। इसका कार्य यह तय करना नहीं है कि पुरस्कार दिया जाए या नहीं।

तथ्य और कानून के मामले में सही है। इसका कार्य केवल यह है कि तय करें कि क्या निष्पक्ष सुनवाई हुई है। एक गलती में

जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, एक अमेरिकी निगम, जिसे बताया गया था कि विस्तृत प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी

चालान, जिसका दावा ईरान द्वारा खारिज कर दिया गया था-यूएस क्लेम ट्रिब्यूनल,

विस्तृत चालान जमा करने में विफलता के लिए! अमेरिकी अदालत, ठीक है यह है

सुझाव दिया, अमेरिकी कंपनी के खिलाफ पुरस्कार लागू करने से इनकार कर दिया [ईरान एयरक्राफ्ट इंड बनाम एवको कॉर्प। 980 एफ. 2 डी. 141 (2 एन. डी. सर। 1992)]।

अलग-अलग परिस्थितियों में, एक जर्मन अदालत ने माना कि एक पुरस्कार [2019] 7 एस. सी. आर.

यह उन तर्कों से प्रेरित था जो मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षों या न्यायाधिकरण द्वारा नहीं उठाए गए थे, और इस प्रकार जिन पर पक्षों को टिप्पणी करने का अवसर नहीं मिला था, उचित प्रक्रिया और सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया गया था [6 अक्टूबर 2001 को स्टटगार्ट कोर्ट ऑफ अपील के निर्णय को देखें।

लिब्सर, द हेल्दी अवार्ड, चैलेंज इन इंटरनेशनल

वाणिज्यिक मध्यस्थता (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल, 2003), 406]। इसी तरह, कनोरिया बनाम गिनीज में, [2006] ईडब्ल्यूसीए सिविल। 222 , इंग्लिश कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला किया कि प्रतिवादी को गंभीर कानूनी स्थिति में अपना मामला पेश करने का मौका नहीं दिया गया था

सुनवाई में दावेदार द्वारा दलीलें दी गईं, जिसमें प्रतिवादी गंभीर बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका। में

परिस्थितियों में, अदालत ने फैसला किया कि 'यह संभावित अन्याय का एक चरम मामला है' और मध्यस्थता पुरस्कार को लागू नहीं करने का संकल्प लिया।

अदालत ने इस बचाव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादी को अंततः साक्ष्य का खुलासा करने के लिए कहने का अवसर दिया गया था इस मुद्दे पर और इस पर टिप्पणी करें, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि प्रवर्तन के लिए उचित प्रक्रिया बचाव का उद्देश्य उन परिस्थितियों को समायोजित करना नहीं था जिनमें एक पक्ष विधिवत रूप से दिए गए अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा था।

38. मिनमेटल्स जर्मनी में जी. एम. बी. एच. वी. फर्को स्टील लिमिटेड, [1999] 647, क्वींस बेंच डिवीजन ने यॉर्क कन्वेंशन के तहत इस आधार को संदर्भित किया, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" एक मामला मुद्दा प्रस्तुत करने में असमर्थता हालांकि उन राज्यों में से कई जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के पक्षकार हैं, नागरिक कानून क्षेत्राधिकार हैं या वे हैं जो चीन की तरह नागरिक कानून से अपने प्रक्रियात्मक नियमों का पूरा या हिस्सा प्राप्त करते हैं और इसलिए अनिवार्य रूप से एक जांच प्रणाली, कला है। वी.

कन्वेंशन ऑडी अल्टरम पार्टेम नियम में परिलक्षित प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं की रक्षा करता है। इसलिए, जहां न्यायाधिकरण प्रक्रियात्मक रूप से अपनी स्वयं की जांच करने का हकदार है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तथ्यों में, इस प्रावधान का प्रभाव बचने के लिए होगा

से प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों के आधार पर एक पुरस्कार का प्रवर्तन

ऐसी जाँच यदि प्रवर्तक को कोई जानकारी नहीं दी गई है

परिणामों के संबंध में अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर

इस तरह की जांच। द्वारा सी. आई. ई. टी. ए. सी. नियमों का अनुच्छेद 26 जिस संदर्भ में पक्षकार मध्यस्थता करने के लिए सहमत हुए थे, बशर्ते किः

' अनुच्छेद 26-पक्षकार तथ्यों के लिए साक्ष्य देंगे

जो उनका दावा या बचाव आधारित है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण

यदि वह इसे आवश्यक समझता है, तो जांच कर सकता है और एकत्र कर सकता है

अपनी पहल पर सबूत "।

हालाँकि, इसे बीजिंग अदालत द्वारा अनुमति के रूप में नहीं माना गया था

न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष पर पहुँचने और इसके बिना एक पुरस्कार देने के लिए

पहले दोनों पक्षों को उन सामग्रियों का खुलासा करना जो उसने प्राप्त की थीं

अदालत के फैसले के आधार-कि फर्को था, कारणों के लिए जो वह जिम्मेदार नहीं था, अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ था। वे।

विक्रय पुरस्कार और साक्ष्य जो इसे रेखांकित करते हैं। मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि फ़र्को के वकील को इस सामग्री का खंडन करने का अवसर देना था

कि बीजिंग अदालत ने एक 'फिर से शुरू' मध्यस्थता का आदेश दिया।

(पी पी में। 656-657)

धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत चुनौती का आधार

39. जहाँ तक इस बचाव का संबंध है, इस पर मानक पाठ्यपुस्तकें

मध्यस्थता 1996 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में होती है। इस प्रकार, धारा 28 (1) (ए) के तहत, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण "... मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का निर्णय करेगा।" 1996 के अधिनियम की धारा 43 (3) ". भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते" को संदर्भित करती है। यह भी हुआ है कहा गया है कि जहां मामले, हालांकि सख्ती से मुद्दे

में नहीं हैं, मुद्दे में मामलों से जुड़े हैं, उन्हें आसानी से ऐसे मामले नहीं माना जाएगा जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर या बाहर माना जा सकता है। इस प्रकार, फौचार्ड (ऊपर) में, यह कहा गया हैः

" यह प्रावधान लागू होता है जहां मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते की शर्तों से परे चले गए हैं। यह अनुच्छेद V, पैराग्राफ 1 (ए) का पूरक है, जो अमान्य मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है। दोनों आधार प्रकृति में समान हैं: दोनों मामलों में, मध्यस्थ ने मध्यस्थता समझौते के अभाव में फैसला सुनाया होगा, या तो

फ्रांसीसी नई सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुच्छेद 1502 1°, या आम तौर पर "एक वैध मध्यस्थता समझौते की अनुपस्थिति" का उल्लेख करता है, जैसा कि नीदरलैंड सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 1065 में है। हालांकि, अनुच्छेद V, अनुच्छेद 1 (सी) फ्रांसीसी नई नागरिक संहिता के अनुच्छेद 1502 3° में सूचीबद्ध सभी मामलों को शामिल नहीं करता है।

प्रक्रिया, जो यह प्रदान करती है कि मान्यता या प्रवर्तन को अस्वीकार किया जा सकता है जहां "मध्यस्थ ने उसे दिए गए मिशन का पालन किए बिना फैसला सुनाया"। यह उन निर्णयों तक फैला हुआ है जो या तो इन्फ्रा पेटिटा और अल्ट्रा पेटिटा हैं, साथ ही उन स्थितियों में भी जहां मध्यस्थों ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है

मामले के गुण-दोष की जांच (उदाहरण के लिए, पक्षकारों द्वारा सहमत नहीं होने पर सौहार्दपूर्ण संयोजन के रूप में कार्य करके, या पक्षकारों द्वारा चुने गए कानून के नियमों को लागू करने में विफल रहने पर)। आम तौर पर ऐसी स्थितियों को बाहर की स्थिति नहीं कहा जा सकता है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता समझौते की शर्तें। व्यवहार में, यह केवल तभी होता है जब संदर्भ की शर्तें-बशर्ते कि उन्हें पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, मध्यस्थता समझौते का एक रूप हो सकता है-पक्षों के दावों को विस्तार से निर्धारित करता है कि जिन मध्यस्थों ने ऐसे दावों में उठाए गए मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दों का फैसला किया है, दोनों को अति-याचिका का फैसला करने और मध्यस्थता समझौते की शर्तों को पार करने के लिए कहा जा सकता है। यदि, दूसरी ओर, मध्यस्थता समझौते का मसौदा सामान्य शब्दों में तैयार किया जाता है और दावों को इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि मध्यस्थों द्वारा हल किए जाने वाले मुद्दों को संविदात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है, तो एक निर्णय जिसे अति तुच्छ माना जाता है, अनुच्छेद 5, पैराग्राफ 1 (सी) का उल्लंघन नहीं करेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कन्वेंशन में यह प्रावधान है कि मान्यता या प्रवर्तन से इनकार पुरस्कार के उन पहलुओं तक सीमित हो सकता है जो मध्यस्थता की शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं।

& कॉन्स्ट, को. लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समझौता, बशर्ते कि उन पहलुओं को अलग किया जा सके

बाकी पुरस्कार (कला। वी (1) (सी))।

एक बार फिर, अदालतों ने बहुत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है

इस आधार का अनुप्रयोग "।

(पी

पर। 988)

गैरी बोर्न (ऊपर) कहते हैं:

" यह दावा करने के लिए कई बार-बार आधार हैं कि

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार को पार कर लिया है। ये आम तौर पर इसमें या तो अतिरिक्त याचिका के दावे शामिल हैं (न्यायाधिकरण इससे आगे चला गया)

अपने अधिकार की सीमाएँ) या इन्फ्रा पेटिटा (न्यायाधिकरण विफल रहा

इसे दिए गए अधिकार का प्रयोग नहीं करके अपने जनादेश को पूरा करें)।

[क] दलों के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय देने वाले पुरस्कार '

प्रस्तुतियाँ

अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) पुरस्कारों को रद्द करने की अनुमति देता है जहां

मध्यस्थों का नियम (घ) उन मुद्दों पर जो उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं पार्टियाँ "- तथाकथित" अतिरिक्त पेटीटा "या" अल्ट्रा पेटीटा "[एलन बनाम।

हौंगा [2012] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 609 (अंग्रेजी सीटी। ऐप.)] अन्य के साथ के रूप में रद्द करने के लिए आधार, अधिकांश अदालतें दावों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं

कि मध्यस्थों ने पक्षों की प्रस्तुतियों के दायरे को पार कर लिया

[देखें, उदाहरण के लिए, स्टार्क बनाम। सैंडबर्ग, फीनिक्स और वॉन गोंटार्ड, पीसी,

381 एफ. 3 डी 793,800 (8 वां सिर। 2004)]।

अधिकता के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक

अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) और अन्य राष्ट्रीय कानूनों के समानांतर प्रावधानों के तहत

मध्यस्थता कानून एक न्यायाधिकरण का राहत का पुरस्कार है जो न तो

पार्टी ने अनुरोध किया। एक फ्रांसीसी अपीलीय निर्णय ने तर्क को समझाया मध्यस्थों के अधिकार पर इन सीमाओं के लिए (जो, इस संबंध में,

कुछ अन्य राष्ट्रीय कानूनों की तुलना में फ्रांसीसी कानून के तहत अधिक कठोर हैं। मध्यस्थता व्यवस्थाएँ) निम्नानुसार [30 जून 2005 का निर्णय, पिलियोड

वी. इकोनॉस्टो, 2006 रेव. अरब। 687 , 688 (पेरिस कोर्ट डी 'एप्पेल)]:

" यह तथ्य कि अनुबंध फ्रांसीसी कानून द्वारा शासित था

मध्यस्थों को कला के अनुसार ब्याज देने की अनुमति न दें। 1153 (1) सिविल संहिता की एकमात्र इस आधार पर कि इसकी अनुमति है

उस प्रावधान के तहत, अनुरोध के अभाव में भी

पार्टियाँ। राज्य न्यायालय की भूमिका में अंतर है।

और एक मध्यस्थ का, जिसका अधिकार क्षेत्र इस पर आधारित है

पार्टियों की सहमति और इसलिए जिन्हें [2019] 7 एस. सी. आर. को संरक्षित करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परामर्श द्वारा कार्यवाहियों का सहमतिपूर्ण चरित्र

न्यायाधिकरण के मिशन के बारे में अपने इरादे पर पक्षकार।

इसी तरह, एक अन्य अदालत ने इस आधार पर एक फैसले को रद्द कर दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित राहत "मध्यस्थों से अधिक थी"।

शक्तियाँ क्योंकि यह किसी भी पक्ष द्वारा नहीं मांगी गई थी, और पूरी तरह से तर्कहीन थी क्योंकि इसने अस्तित्व से बाहर अनुबंध की भौतिक शर्तों को लिखा था। प्लेटिनम

अंडरराइटर बरमूडा लिमिटेड, 400 एफ. एप्पक्स। 654 (3 डी सर। 2010)]।

फिर भी, एक पुरस्कार रद्द होने के अधीन नहीं होगा जहां मध्यस्थ राहत देते हैं कि, एक पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए राहत से अलग, राहत के भीतर शामिल किया जाता है जो पक्ष ने अनुरोध किया था (सबसे स्पष्ट रूप से, दावेदार द्वारा अनुरोध की गई क्षति की कम मात्रा)। अधिक आम तौर पर, अदालतें मध्यस्थों को उपचार तैयार करने में पर्याप्त विवेकाधिकार भी देती हैं, जिसमें अनुदान देना भी शामिल है। राहत जो किसी भी पक्ष ने स्पष्ट रूप से अनुरोध नहीं किया है [देखें, उदाहरण के लिए, हार्पर

इंस. लिमिटेड वी. सेंचुरी इंडेम। कं., 819 एफ. सप. 2 डी 270,277 (S.D.N.Y 2011)]। यद्यपि स्पष्ट नियम तैयार करना असंभव है, लेकिन निर्णायक मुद्दा यह प्रतीत होता है कि क्या मध्यस्थों द्वारा दी गई राहत को पक्षों द्वारा अनुरोध किए जाने के भीतर शामिल किया गया था या यथोचित रूप से संबंधित था।

अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) के तहत अधिकार की अधिकता और अन्य मध्यस्थता प्रतिमानों के समानांतर प्रावधानों के एक अन्य उदाहरण में मुद्दों या विवादों को तय करने वाले पुरस्कार शामिल हैं जो पक्षों के पास हैं। माध्यस्थम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया गया [देखें, उदाहरण के लिए, एमिलियो बनाम। स्प्रिंट

स्पेक्ट्रम एल. पी., 2013 डब्ल्यू. एल. 203361 (2 डी सिर.)]। एक न्यायाधिकरण एक ऐसे मुद्दे पर निर्णय देकर अपने अधिकार को पार कर जाता है जो मध्यस्थता में पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, भले ही वह जिस मुद्दे या विवाद को संबोधित करता है वह पक्षों के मध्यस्थता समझौते के दायरे में हो। जैसा कि एक अदालत ने समझायाः मध्यस्थों के पास केवल उन पर निर्णय लेने का अधिकार है

वास्तव में पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दे "[ए. जी. सी. ओ. कार्पोरेशन। वी. एंग्लिन, 216 एफ. 3 डी 589,593 (7 वां सिर। 2000)]। पक्षकारों की प्रस्तुतियों के दायरे के बारे में संदेह अधिकांश कानूनी प्रणालियों में मध्यस्थों द्वारा तय किए गए मामलों को शामिल करने के पक्ष में हल किए जाते हैं। अलग-अलग शब्दों में कहें तो पक्षकारों की दलीलों के तहत मध्यस्थों द्वारा अपने अधिदेश के दायरे की व्याख्या को काफी हद तक न्यायिक सम्मान दिया जाता है [देखें,

उदाहरण के लिए, डाउनर बनाम। सीगल, 489 एफ. 3 डी 623,627 (5 वां सिर। 2007)]। एक अदालत के शब्दों में, "[डब्ल्यू] ई खत्म नहीं होगा-पैनल के एसएसएएएनजीओएनजी की जांच करें।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भाषा और इस निष्कर्ष पर कूदें कि यह अपनी शक्ति को पार कर गया है पुरस्कार तैयार करना "[लॉयड के वी में कुछ अंडरराइटर। बी सी एस

इंस. कं., 239 एफ. सप. 2 डी 812,817 (एन. डी. III. 2003)] .

कुछ रद्द करने वाली अदालतों ने अनुचित औपचारिकता को अपनाया है।

इस प्रश्न पर पहुँचें कि क्या कोई विशेष मुद्दा या तर्क है

न्यायाधिकरण को प्रस्तुत नहीं किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि इन मुद्दों को मध्यस्थता के दौरान बहस में उठाया गया था।

[पी. टी. प्राइमा इंटरनेशनल देव देखें। वी. केम्पिंस्की होटल्स एसए, [2012] एसजीसीए

35] . बेहतर विचार यह है कि सिविल प्रक्रिया के स्थानीय नियमों पर ध्यान न दिया जाए

या यह निर्धारित करने में मुकदमेबाजी की प्रथाएं कि क्या कोई मुद्दा प्रस्तुत किया गया था

मध्यस्थों के लिए; इसके बजाय उचित जांच एक व्यावहारिक है।

क्या पक्षकारों और न्यायाधिकरण के पास विचार करने का अवसर था और किसी विशेष मुद्दे पर साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करें।

(पीपी में। 3289-

3293)

(जोर दिया गया)

अर्न और हंटर (ऊपर) इस प्रकार कहते हैंः

" 11.77 . प्रवर्तन से इनकार करने के लिए इस आधार का पहला भाग

कन्वेंशन के तहत (और मॉडल कानून के तहत) एक परिकल्पना की गई है

ऐसी स्थिति जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कथित रूप से कार्य किया हो

इसके अधिकार की अधिकता, यानी अल्ट्रा पेटिटा, और एक के साथ निपटा है

विवाद जो उसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। एक प्रमुख के अनुसार

कन्वेंशन पर अधिकार, अदालतें लगभग हमेशा अस्वीकार करती हैं यह बचाव [अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग देखें, 'अदालत के फैसले पर

न्यूयॉर्क कन्वेंशन ', स्विस आर्बिट्रेशन एसोसिएशन

सम्मेलन, फरवरी 1996, संग्रहित रिपोर्ट, 86]। के माध्यम से

उदाहरण के लिए, जर्मन अदालतों ने अल्ट्रा पेटिटा बचाव को खारिज कर दिया है
एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लेक्स के आवेदन की शिकायत में उठाया गया
मर्कटोरिया, [हैम्बर्ग के क्षेत्रीय न्यायालय का निर्णय देखें।
18 सितंबर 1997, (2000) XXV Y. B. कॉम। अरब। 710] और
एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का दावा की गई राशि से अधिक ब्याज का अधिनिर्णय
[30 जुलाई को हैम्बर्ग के अपील न्यायालय का निर्णय देखें
1998 , (2000) XXV Y. B. कॉम. अरब। 714] . एक और मजबूत
इस तरह के बचाव की अस्वीकृति यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स से आती है
कोलंबिया जिले के लिए, एक मामले में जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि
मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने काफी हर्जाना [2019] 7 एस. सी. आर. का फैसला सुनाया था।

परिणामी हानि के लिए, जब पक्षों के बीच अनुबंध

स्पष्ट रूप से नुकसान के इस सिर को बाहर रखा गया [लीबिया अमेरिकी तेल] कंपनी (लियामको) बनाम सोशलिस्ट पीपुल्स लीबिया अरब यामाहिर्या,

(1982) VII वाई. बी. कॉम. अरब। 382] . अदालत ने कहा कि अनुबंध के कानून की गहन समीक्षा के बिना, अदालत यह नहीं बता सकती कि क्या अनुबंध का उल्लंघन उस खंड को निरस्त कर देगा जिसमें परिणामी नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मानक अमेरिकी न्यायालय द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा बेहद संकीर्ण है और (अमेरिकी अपील न्यायालय के शब्दों को अपनाना)

पार्सन्स व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक का प्रसिद्ध मामला v सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पेपर (आर. ए. के. टी. ए.), 508 एफ. 2 डी

969 (2 एन. डी. सर। 1974)) कन्वेंशन ने 'पक्षकारों के समझौते के मध्यस्थों के निर्माण का दूसरा अनुमान लगाने' को मंजूरी नहीं दी। न ही अदालत के लिए 'मध्यस्थों की भूमिका को हड़पना' उचित होगा [लीबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी (लियामको) बनाम सोशलिस्ट पीपुल्स

लीबिया अरब यामाहिर्या, (1982) VII Y. B. कॉम। अरब। , 382 में

388] . तदनुसार, प्रवर्तन का आदेश दिया गया था।

40. सिंगापुर की अपील अदालत, सी. आर. डब्ल्यू. संयुक्त संचालन में

टी पेरुसाहान गैस नेगारा (पर्सेरो) टीबीके, [2011] एसजीसीए 33,

इस प्रकार हैः

" 25. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने की अदालत की शक्ति सीमित है -

अनुच्छेद 34 के तहत प्रदान किए गए आधारों के आधार पर अलग करना

आदर्श विधि और आई. ए. ए. की धारा 24। जैसा कि सोह में इस अदालत द्वारा घोषित किया गया है

बेंग टी एंड कंपनी पीटीई लिमिटेड बनाम फेयरमाउंट डेवलपमेंट पीटीई लिमिटेड

[2007] 3 एस. एल. आर. (आर) 86 ("सोह बेंग टी") पर [59], वर्तमान कानूनी ढांचा निर्धारित करता है कि अदालतों को लाभ के बिना नहीं होना चाहिए।

कारण मध्यस्थता प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। न्यूनतम की यह नीति

मध्यस्थता प्रक्रिया में अंतिमता का सम्मान करते हुए आकस्मिक हस्तक्षेप उस प्राथमिकता को स्वीकार करता है जिसे विवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

समाधान तंत्र जिसे दलों ने स्पष्ट रूप से चुना है। 26. हालांकि, यह भी (सही) कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने दायरे में बाध्यकारी मध्यस्थता पुरस्कार देने या लागू करने की अनुमति नहीं देगा।

पुरस्कार की समीक्षा करने में सक्षम हुए बिना क्षेत्र, या, कम से कम, बिना

पक्षकारों को अदालत को संबोधित करने का अवसर देना यदि वहाँ है

उचित प्रक्रिया या अन्य अनियमितताओं का उल्लंघन किया गया है

मध्यस्थता कार्यवाही (पीटर बाइंडर, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक देखें)

UNCITRAL मॉडल कानून में मध्यस्थता और सुलह अधिकार क्षेत्र (स्वीट एंड मैक्सवेल, तीसरा संस्करण, 2010) पैरा 7-001 पर)।

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

27. जबकि सिंगापुर की अदालतें कभी-कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं

मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने के लिए, वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे यदि मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित आधार है

स्पष्ट रूप से स्थापित। इस संबंध में प्रासंगिक आधारों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है (आम तौर पर नाइजल ब्लैकबी एट अल, रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 5 वां संस्करण, 2009) (रेडफर्न और हंटर) पैरा 10.30-10.86 पर देखें)। सबसे पहले, एक पुरस्कार को अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी जा सकती है (यानी, एक वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व नहीं होना, या अन्य आधार जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित दावे की न्यायनिर्णयता पर जाते हैं)। दूसरा, एक पुरस्कार को प्रक्रियात्मक आधारों पर चुनौती दी जा सकती है (जैसे, मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना देने में विफलता), और तीसरा, पुरस्कार को ठोस आधारों पर चुनौती दी जा सकती है (जैसे, मध्यस्थता के स्थान की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन)।

XXX XXX XXX 31. इस समय, आदर्श विधि के अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) के अनुप्रयोग में अंतर्निहित कुछ कानूनी सिद्धांतों को निर्धारित करना उपयोगी है। पहला, अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) का संबंध उस स्थिति से नहीं है जहां

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास उस विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं था जिसे वह निर्धारित करना चाहता था। बल्कि, यह उन मामलों में लागू होता है जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अनुचित तरीके से उन मामलों का फैसला किया था जो उसे प्रस्तुत नहीं किए गए थे या जो मामले उसे प्रस्तुत किए गए थे उन पर निर्णय लेने में विफल रहे थे। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) उस स्थिति को संबोधित करता है जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा उसे दिए गए अधिकार को पार कर लिया (या प्रयोग करने में विफल रहा) (गैरी बी बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय देखें)।

वाणिज्यिक मध्यस्थता (वोल्टर्स क्लूवर, 2009) खंड 2, पीपी 2606 2607 और 2798-2799 पर)। एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने का यह आधार केवल एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र को शामिल करता है। और प्रक्रियात्मक मामलों तक विस्तारित नहीं है (देखें रॉबर्ट मर्किन और जोहाना हजलमार्सन, सिंगापुर मध्यस्थता विधान)

टिप्पणी (सूचना, 2009) ("सिंगापुर मध्यस्थता विधान") पृष्ठ 117 पर)।

32. दूसरा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा उसे संदर्भित प्रत्येक मुद्दे से निपटने में विफलता सामान्य रूप से उसके मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी। प्रत्येक में महत्वपूर्ण प्रश्न

मामला यह है कि क्या विवाद के किसी भी पक्ष (या दोनों) के लिए वास्तविक या वास्तविक पूर्वाग्रह रहा है। इस संबंध में, निम्नलिखित [2019] 7 एस. सी. आर.

रेडफर्न और हंटर में मार्ग ([27] पैरा 10.40 पर ऊपर)

सही ढंग से स्थिति का सारांश देता हैः

समग्र रूप से पुरस्कार के संबंध में विचार किया जाए। उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है जिसमें मुद्दे

नज़रअंदाज़ किए गए थे इतने महत्वपूर्ण थे कि, अगर उनके पास था

निपटाया जाता, पुरस्कार का पूरा संतुलन होता इसे बदल दिया गया और इसका प्रभाव अलग होता। [जोर देना

जोड़ा गया]

33. तीसरा, यह सामान्य है कि केवल कानून की त्रुटियाँ या तथ्य भी नहीं हैं।

कला के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए पर्याप्त 34 (2) (ए) (iii) मॉडल कानून का (सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड वी देखें)

हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कंपनी (पीटीई) लिमिटेड [2010] 3 एसएलआर 1

[19] - [22]) . लेसोथो हाइलैंड्स के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले में

विकास प्राधिकरण बनाम इम्प्रेगिलो एसपीए [2006] 1 एसी 221, जो

एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन से संबंधित

मध्यस्थता न्यायाधिकरण की "अपनी शक्तियों से अधिक" का आधार (एस देखें)

68 (2) (बी) मध्यस्थता अधिनियम 1996 (सी 23) (यूके) ("यूके

मध्यस्थता अधिनियम ")), लॉर्ड स्टेन ने स्पष्ट किया ([24] [25]) महत्वपूर्ण

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा गलत अभ्यास के बीच अंतर

इसमें निहित एक उपलब्ध शक्ति का (जो नहीं होगी) केवल कानून की त्रुटि से अधिक) और द्वारा कथित अभ्यास

एक शक्ति का मध्यस्थ न्यायाधिकरण जो उसके पास नहीं था। केवल में बाद की स्थिति, उनके लॉर्डशिप ने कहा, एक मध्यस्थ पुरस्कार होगा

यू. के. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 68 (2) (बी) के तहत अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी

इस आधार पर कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया था। इसी तरह, आदर्श कानून का अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) लागू होता है जहां

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण इससे परे के मामलों का निर्णय करके अपने अधिकार को पार कर जाता है।

इसके संदर्भ का दायरा या प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है

उस पर प्रस्तुत किए गए मामलों को तय करने में विफल रहने से, जो बदले में

विवाद के दोनों पक्षों में से किसी एक के प्रति पूर्वाग्रह (ऊपर देखें) [31]) "पर।

(जोर दिया गया)

न्यूयॉर्क कन्वेंशन (ऊपर) पर UNCITRAL गाइड में कहा गया हैः

" 2. अनुच्छेद 5 (1) (सी) की जड़ें 1927 के जिनेवा के अनुच्छेद 2 (सी) में पाई जाती हैं।

सम्मेलन। अनुच्छेद वी (1) (सी) की शुरुआत में भाषा, सैंग्योंग अंग्रेजी।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता समझौते के दायरे से अधिक पुरस्कारों की मान्यता या प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधार प्रदान करना, 1927 के जिनेवा कन्वेंशन में अपने समकक्ष से काफी हद तक अपरिवर्तित है।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन, हालांकि, 1927 के जिनेवा के अनुच्छेद 2 में पाई गई भाषा को हटाकर अनुच्छेद V (1) (c) के दायरे को सीमित करता है। कन्वेंशन जो अधिकारियों को पुरस्कारों के प्रवर्तन में देरी करने या उनके संबंध में शर्तें बनाने की अनुमति देता है, जहां पुरस्कार में मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किए गए सभी प्रश्न शामिल नहीं थे।

3. न्यूयॉर्क कन्वेंशन के मसौदों ने स्पष्ट रूप से विभाजन की अनुमति देकर 1927 के जिनेवा कन्वेंशन को आगे बढ़ाया।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आने वाले या नहीं आने वाले अंतर से संबंधित पुरस्कार का हिस्सा, या मध्यस्थता के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल है। मध्यस्थता को प्रस्तुत करना, ताकि मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णय वाले पुरस्कार के हिस्से की मान्यता और प्रवर्तन की अनुमति दी जा सके। यद्यपि अनुच्छेद 5 (1) (ग) के बारे में आम तौर पर कम चर्चा की जाती है, आंशिक मान्यता के लिए अनुमति देने वाले प्रावधान को शामिल करना और

प्रवर्तन कुछ बहस का विषय था। ट्रैवॉक्स प्रीपेरेटायरों से पता चलता है कि इस सिद्धांत के रूप और सार पर विभिन्न चिंताएं उठाई गई थीं, जिनमें ये चिंताएं भी शामिल थीं कि

6. अदालतें और टिप्पणीकार इस बात पर सहमत हैं कि एक मध्यस्थता समझौता अनुच्छेद वी (1) (सी) के अर्थ के भीतर "मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत" का गठन करता है। नतीजतन, जहां एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक पुरस्कार प्रदान किया है जो मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे मामलों का फैसला करता है, वहां अनुच्छेद V (1) (c) के तहत एक पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने का आधार है। 7. अदालतों ने यह भी माना है कि "मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत" शब्द में एक मध्यस्थता समझौता संशोधित, संशोधित या [2019] 7 एस. सी. आर. शामिल हो सकता है।

एक मध्यस्थ संस्था की सहमति की शर्तों द्वारा पूरक

मध्यस्थों और विवादित पक्षों द्वारा। संदर्भ की शर्तें वास्तव में मध्यस्थता समझौते को पूरक या संशोधित कर सकते हैं। के लिए

उदाहरण के लिए, एक जर्मन अपील अदालत ने माना कि पक्षों के पास था

संदर्भ. इसी तरह, अंग्रेजी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक निर्णय कहा कि "[i] वर्तमान मामले में एक आई. सी. सी. के साथ काम कर रहा है

मध्यस्थता समझौता। ऐसे मामले में संदर्भ की शर्तें जो

आई. सी. सी. नियमों के अनुच्छेद 18 के तहत हमेशा तय किया जाता है,

बेशक, मध्यस्थता की शर्तों में संशोधन या पूरक

समझौता "।

8. लेखकों और अदालतों ने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या अनुच्छेद V (1) (ग) पहचानने या लागू करने से इनकार करने के लिए आधार प्रदान करता है जहाँ

मध्यस्थ का निर्णय पक्षों की दलीलों या दलीलों से परे जाता है।

पुरस्कार अल्ट्रा पेटिटा प्रदान करने के लिए राहत के लिए प्रार्थना। हालांकि कुछ

लेखकों ने तर्क दिया है कि लेख वी (1) (सी) एक दूसरा प्रदान करता है, अति प्रदत्त पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के लिए अलग आधार

लेकिन, अदालतों ने मान्यता या मान्यता के लिए चुनौतियों को खारिज कर दिया है

इस तथ्य के आधार पर अनुच्छेद वी (1) (सी) के तहत प्रवर्तन कि मध्यस्थों ने मुद्दों पर निर्णय लेकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया था या

पक्षों द्वारा अनुरोध किए गए रूपों से परे राहत प्रदान करना। के रूप में

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत ने कहा, "[यू] न्यूयॉर्क में

कन्वेंशन, हम जांच करते हैं कि क्या पुरस्कार दायरे से अधिक है

[मध्यस्थता समझौते] का, यह नहीं कि क्या पुरस्कार से अधिक है

पक्षकारों की दलीलों का दायरा। लेख की यह व्याख्या

वी (1) (सी) जो पक्षों की दलीलों या प्रार्थनाओं को अलग करता है अनुच्छेद V में निर्दिष्ट "मध्यस्थता के लिए समर्पण" से राहत

(1) (ग), आधारों की एक संकीर्ण व्याख्या के अनुरूप है

किसी पुरस्कार को मान्यता देने या लागू करने से इनकार करने के लिए।

(जोर दिया गया)

41. एक प्रारंभिक यू. एस. निर्णय में, अर्थात। , पार्सन्स एंड व्हिटमोर

सीज़ कं., इंक., वी. उद्योग जगत की महान संस्थाएँ

के. टी. ए.), 508 एफ. 2 डी 969 (यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स, सेकंड सर्किट,

) [“ पार्सन्स], यह आयोजित किया गया थाः

" 19. अनुच्छेद V (1) (c) के तहत, प्रवर्तन के खिलाफ बचाव करने वाला एक मध्यस्थता पुरस्कार यह साबित करके प्रबल हो सकता है किः

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

20. पुरस्कार एक अंतर से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

21. यह प्रावधान संघीय मध्यस्थता अधिनियम, 9 यू. एस. सी. 10 (डी) के अधिक विस्तृत रूप 10 (डी) में ट्रैक करता है, जो एक पुरस्कार को खाली करने के लिए अधिकृत करता है 'जहां मध्यस्थ अपनी शक्तियों को पार कर गए थे।' दोनों प्रावधान मूल रूप से एक पक्ष को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए समझौते के भीतर नहीं किसी विषय वस्तु के मध्यस्थता पर आधारित निर्णय पर हमला करने की अनुमति देते हैं। एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए इस बचाव को, पहले से चर्चा किए गए अन्य लोगों की तरह, संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। एक बार फिर, एक संकीर्ण निर्माण प्रवर्तन के अनुरूप होगा-कन्वेंशन के जोर को सुविधाजनक बनाना। इसके अलावा, संघीय मध्यस्थता अधिनियम के समान प्रावधान के तहत मामला कानून दृढ़ता से एक सख्त पढ़ने का समर्थन करता है। देखें, उदाहरण के लिए, संयुक्त

स्टीलवर्कर्स ऑफ अमेरिका बनाम एंटरप्राइज व्हील एंड कार कार्पोरेशन , 363

अमेरिका 593,80 एस. सी. टी. 1358, 4 L.Ed.2d 1424 (1960); कोएनन बनाम। आर. डब्ल्यू. प्रेसप्रिक एंड कंपनी, 453 एफ. 2 डी 1209 (2 डी सिर.), प्रमाण पत्र। अस्वीकार किया गया, 406 यू. एस. 949,92 एस. सी. टी. 2045,32 L.Ed.2d 337 (1972)।

22. इस बचाव को पुरस्कार के तीन घटकों के रूप में बनाने में, इसलिए विदेशियों को एक शक्तिशाली धारणा को दूर करना होगा कि मध्यस्थ निकाय ने अपनी शक्तियों के भीतर काम किया। मुख्यतः विदेशों में

उत्पादन के नुकसान के लिए दिए गए $185,000 पर अपनी चुनौती का निर्देशन करता है। इसका अधिकार क्षेत्र संबंधी दावा अनुबंध के प्रावधान पर केंद्रित है।

यह कहते हुए कि 'उत्पादन के नुकसान के लिए किसी भी पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा।' हालाँकि, न्यायाधिकरण पर उचित रूप से उस विषय पर इस कथित सीमा को नजरअंदाज करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जिस पर उसकी निर्णय लेने की शक्तियाँ विस्तारित की गई थीं। बल्कि, मध्यस्थता अदालत ने इस मामले पर अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए प्रावधान की व्याख्या नहीं की। जैसा कि यूनाइटेड स्टीलवर्कर्स ऑफ अमेरिका बनाम। एंटरप्राइज व्हील एंड कार कार्पोरेशन , ऊपर, न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि मध्यस्थ ने अनुबंध के निर्माण पर निर्णय को पूर्वनिर्धारित किया है और यह 'स्पष्ट नहीं' है, 363 यू. एस. 593 598,80 एस. सी. टी. 1358, कि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का दायरा पार कर दिया गया है।

XXX XXX XXX " 24. हालांकि कन्वेंशन मानता है कि एक पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है जहां [2019] 7 एस. सी. आर. के बाहर किसी विषय पर भविष्यवाणी की गई हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पक्षकारों के समझौते का मध्यस्थ का निर्माण। अपीलार्थी का हालाँकि, इस बचाव का आह्वान करने का प्रयास अदालत से माँग करता है कि

इसके निर्णय लेने की शक्तियों पर इस सीमा को नजरअंदाज करें और अधिकार हड़प लें

मध्यस्थ की भूमिका। जिला अदालत ने अपने बारे में उचित दृष्टिकोण अपनाया

इस आधार पर राहत देने से इनकार करने का अधिकार क्षेत्र। ”

(जोर दिया गया)

लेसोथो उच्चभूमि विकास प्राधिकरण बनाम। अनुचित

और ओआरएस। , [2005] 3 सभी ई. आर. 789 [एच. एल.], अंग्रेजी ओ. आर. वाई. प्रावधान को निर्धारित करने के बाद, अदालत के सामने आने वाले सटीक प्रश्न को बताया गया था।

" [3] ..... जहाँ तक सामग्री की बात है, धारा 68 इस प्रकार हैः

" (1) मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक पक्ष (अन्य पक्षों और न्यायाधिकरण को नोटिस देने पर) न्यायाधिकरण, कार्यवाही या पुरस्कार को प्रभावित करने वाली गंभीर अनियमितता के आधार पर कार्यवाही में एक पुरस्कार को चुनौती देने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। (2) गंभीर अनियमितता का अर्थ है निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार की अनियमितता जो अदालत मानती है कि आवेदक के साथ पर्याप्त अन्याय हुआ है या होगा।

((ख) न्यायाधिकरण अपनी शक्तियों से अधिक है (अपनी मूल अधिकारिता से अधिकः धारा 67 देखें)।

सवाल यह उठता है कि धारा 68 (2) (बी) और धारा 69, जहां तक कि बाद वाली कानून के प्रश्न पर अपील के अधिकार को बाहर करती है, कैसे काम करती है। विशेष रूप से, मध्यस्थों की एक कथित त्रुटि हो सकती है।

अंतर्निहित या मूल अनुबंध की व्याख्या करने में धारा 68 (2) (बी) के तहत शक्ति की अधिकता होगी, ताकि अदालत को कानून की त्रुटि के बजाय हस्तक्षेप करने की शक्ति दी जा सके, जिसे केवल धारा 69 के तहत चुनौती दी जा सकती है यदि अपील के अधिकार को बाहर नहीं किया गया है?

न्यायालय द्वारा इस प्रकार उत्तर दिया गयाः

" [23] मैंने जो विचार व्यक्त किया है, उसके विपरीत अब मैं मान लूंगा

कि न्यायाधिकरण ने कानून की त्रुटि की है। कानून की वह गलती एक से अधिक रूप ले सकते थे। न्यायाधीश (पैरा 25) और अपील न्यायालय (पैरा 35) ने इस आधार पर मामले का दरवाजा खटखटाया कि न्यायाधिकरण ने अंतर्निहित अनुबंध की व्याख्या में गलती की है।

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय Ghway 's AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक अन्य संभावना यह है कि न्यायाधिकरण ने अपनी शक्तियों की गलत व्याख्या की,

धारा 48 (4) के तहत किसी भी मुद्रा में पुरस्कार व्यक्त करना। मुझे इस आधार पर मामले का रुख करने दें कि न्यायाधिकरण द्वारा इनमें से एक प्रपत्र में गलती की गई थी। जो भी मामला हो, उच्चतम मामला यह रखा जा सकता है कि न्यायाधिकरण ने कानून की त्रुटि की है।

" [30] विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर न्यूयॉर्क सम्मेलन 1958 और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 कुछ हद तक धारा 68 की उत्पत्ति थीः सामान्य टिप्पणी देखें

(इसके मूल अधिकार क्षेत्र को पार करने के अलावा) "धारा 68 में न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (c) और उस पर न्यायशास्त्र की शर्तें हैं। संदर्भ यह है कि अनुच्छेद 5 (1) (ए) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता किसी निर्णय को लागू न करने का आधार हैः इसमें मध्यस्थ की क्षमता शामिल है। अनुच्छेद 5 (1) (सी) मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों से संबंधित है। यह अधिकता के मामलों से निपटता है मध्यस्थ की शक्ति या अधिकार। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि

अनुच्छेद V (1) (c) का संक्षिप्त अर्थ लगाया जाना चाहिए और इससे कभी भी पुरस्कार के गुणों की पुनः परीक्षा नहीं होनी चाहिएः पार्सन्स एंड

व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक बनाम सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पापियर (आरएकेटीए) 508 एफ 2 डी 969 (दूसरा सिर 1974); अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग, द न्यूयॉर्क आर्बिट्रेशन कन्वेंशन ऑफ 1958 (1981), पीपी 311-318; डोमेनिको डी पिएट्रो और मार्टिन प्लेटे, एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड्सः 1958 का न्यूयॉर्क कन्वेंशन (2001), पीपी 158-162। ठेकेदारों के पार्सन के निर्णय का हवाला देते हुए वकील ने इस सादृश्य के बारे में सदन को सतर्क कर दिया। यह धारा 68 (2) (बी) की संकीर्ण व्याख्या की ओर इशारा करता है। डी. ए. सी. रिपोर्ट में निर्धारित धारा 68 (2) (बी) में अंतर्निहित नीति इसी तरह एक प्रतिबंधात्मक व्याख्या की ओर इशारा करती है।

[31] अपनी शर्तों के अनुसार धारा 68 (2) (बी) यह मानती है कि न्यायाधिकरण

अपने मूल अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता समझौते के तहत अपनी शक्तियों का उल्लंघन करना है। संदर्भ की शर्तें या 1996 का अधिनियम। धारा 68 (2) (बी) [2019] 7 एस. सी. आर. नहीं है।

इस आधार पर चुनौती देने की अनुमति दें कि न्यायाधिकरण कानून या तथ्य के मामले में गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है। केवल कानून की त्रुटि को छिपाना उचित नहीं है। इस दृश्य को मजबूत किया जाता है यदि कोई इसे लेता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध की व्याख्या करने में एक गलती "कानून के प्रश्न" का प्रतिमान है, जिसके खिलाफ धारा 69 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में अपील की जा सकती है, जब तक कि पक्षों ने समझौते द्वारा उस अधिकार को बाहर नहीं कर दिया हो। ऐसे मामलों में जहां अधिनियम द्वारा स्वीकृत समझौते द्वारा अपील के अधिकार को बाहर रखा गया है, वह होगा -

धारा 68 (2) (बी) के तहत एक चुनौती को अंतर्निहित अनुबंध की गलत व्याख्या पर आधारित होने की अनुमति देने के लिए उत्सुक। इसके अलावा, यह अजीब होगा जहां धारा 68 (2) (बी) और धारा 69 के तहत समानांतर चुनौतियों की अनुमति देने के लिए कोई बहिष्करण समझौता नहीं है।

[32] यह तय करने के लिए कि क्या धारा 68 (2) (बी) लगी हुई है, एक के तहत विशेष शक्ति पर गहन रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा मध्यस्थता समझौता, संदर्भ की शर्तें, या 1996 का अधिनियम जो शामिल है, मामले की सभी परिस्थितियों में न्याय किया जाता है। इस सामान्य अवलोकन को करते समय यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध शक्ति का गलत प्रयोग अपने आप में शक्ति की अधिकता नहीं हो सकता है। केवल कानून की त्रुटि धारा 68 (2) (बी) के तहत शक्ति की अधिकता नहीं होगी।

[33] इन कारणों से अपील न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि न्यायाधिकरण ने मुद्रा बिंदु पर अपनी शक्तियों को पार कर लिया है। यदि न्यायाधिकरण ने किसी भी तरह से गलती की है, तो यह उसकी शक्ति के भीतर एक त्रुटि थी।

[34] मुझे खुशी है कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। यह 1996 के अधिनियम के विधायी उद्देश्य के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य एकतरफा निर्णय को बढ़ावा देना है। यदि अपील न्यायालय का विपरीत दृष्टिकोण प्रबल होता, तो इससे कई मामले खुल जाते।

इस आधार पर पुरस्कारों को चुनौती देने के अवसर कि न्यायाधिकरण

पुरस्कार की मुद्रा पर निर्णय लेने में अपनी शक्तियों को पार कर गया। इस तरह के निर्णय मध्यस्थता की दुनिया में रोजमर्रा की घटना हैं। यदि अपील न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया होता, तो 1996 के अधिनियम के तंत्र में एक बहुत ही गंभीर दोष सामने आ जाता। यह तथ्य कि यह मामला तीन स्तरों पर अदालतों के समक्ष रहा है और पुरस्कार के प्रवर्तन में तीन साल से अधिक समय से देरी हो रही है, इस बिंदु के महत्व को मजबूत करता है।

(जोर दिया गया)

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]आयरलैंड के उच्च न्यायालय ने पैट्रिक रयान और एन रयान और एन ओ 'लेरी (क्लोनमेल) लिमिटेड और जनरल मोटर्स, [2018] आयरलैंड के आई. ई. एच. सी. उच्च न्यायालय, 2018) में इसे इस प्रकार रखाः

" 24. जहाँ तक दूसरे सिद्धांत का संबंध है जो इससे निकलता है मामला कानून, अर्थात्, कि दरकिनार करने का आवेदन मध्यस्थ के निर्णय की अपील नहीं है और अदालत को योग्यता के आधार पर मध्यस्थ के निर्णय का अनुमान लगाने का अवसर प्रदान नहीं करता है, यह आयरिश मामलों की एक छोटी संख्या और उन मामलों में की गई टिप्पणियों को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त है। स्लोडी में

(स्लोडी वी। मावरोडिस [2013] आई. ई. एच. सी. 285), जे. लाफॉय ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि यह अदालत के लिए दूसरा करने के लिए खुला नहीं था-अनुमान लगाएं

उस मामले में मध्यस्थ द्वारा एक अलग आवेदन के माध्यम से प्रासंगिक संविदात्मक मुद्दे का निर्माण। जे. लाफॉय ने कहा कि यदि अदालत ऐसा करती है, तो यह मध्यस्थ के अधिकार को हड़पना होगा।

भूमिका (पैरा। 34, पृ. 16)। डेलार्गी में (डेलार्गी बनाम। हिकी (2015)

आई. ई. एच. सी. 436), जे. गिलिगन ने कहाः

" इस न्यायालय का यह कोई कार्य नहीं है कि वह किसी भी तरह से मध्यस्थ द्वारा लिए गए निर्णय का दूसरा अनुमान लगाने का प्रयास करे और यह न्यायालय ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं करता है। (पैरा। 74 , पी।

37) .

बाद में अपने फैसले में, जे. गिलिगन ने कहा किः

" यह न्यायालय यह नहीं मानता कि मध्यस्थ के निर्णय के गुण-दोष पर पुनर्विचार करना उचित है। (पैरा। 78 , पी। 39) .

25. ओ 'लेरी लिसार्डा (ओ' लेरी लिसार्डा बनाम। रयान [2015] आई. ई. एच. सी. 820), जे. मैकगवर्न ने स्वीकार किया

आवेदक कि पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन ". एक नहीं है

मध्यस्थ के खिलाफ अपील की प्रकृति में कार्यवाही

योग्यता के आधार पर पुरस्कार "। (पैरा। 5, पृ. 2)। उन्होंने उन आधारों में से एक को खारिज कर दिया, जिसके आधार पर पुरस्कार को अलग करने की मांग की गई थी।

इस आधार पर मामला कि यह ". प्रभावी रूप से मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील करने के प्रयास के बराबर है जो अनुमेय नहीं है।" (पैरा। 11, पृ. 4)। XXX XXX XXX

" 39. आयरिश अदालतों को एक पुरस्कार [2019] 7 एस. सी. आर. को चुनौती देने पर विचार करने के लिए उचित दृष्टिकोण पर विचार करने का अवसर मिला है।

अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) के आधार पर जहां यह सुझाव दिया जाता है कि एक मध्यस्थ ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया है या अपने अधिकार से बाहर काम किया है। आदेश। इस बिंदु पर प्रमुख आयरिश मामला स्नोडी (स्नोडी बनाम। मावरोदिस [2013] आई. ई. एच. सी. 285)। स्नोडी में, (स्नोडी बनाम।

मावरोडिस [2013] आई. ई. एच. सी. 285) जे. लाफॉय ने अनुच्छेद के संबंध में मैन्सफील्ड में निहित टिप्पणी को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

34 (2) (क) (iii)। उन्होंने इस प्रकार कहाः

" उस प्रावधान पर मैन्सफील्ड की टिप्पणी यह है कि यह एक

जमीन

' [टी] हैट पुरस्कार एक विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है

या मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या इसके दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना। टिप्पणीकारों ने नोट किया है कि

' इस मैदान का कभी-कभी उपयोग किया जाता है और यह और भी कम है।

राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा एक पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए अक्सर स्वीकार किया जाता है ' और अंतर्राष्ट्रीय मामला-मॉडल कानून के तहत तय किया गया कानून

यह माना गया है कि इस मैदान को संकीर्ण रूप से समझा जाना है। '

उस परिच्छेद में उद्धृत टिप्पणीकार ब्रेकोलाकिस हैं और

संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर मिस्टेलिस में तट (प्रथम संस्करण। ,

647) कि 'एक मजबूत धारणा मौजूद होनी चाहिए कि एक न्यायाधिकरण अपने अधिदेश के भीतर कार्य करता है। (पैरा में जे. लाफॉय के अनुसार। 32 , पीपी। 14

-

14) .

40. स्नोडी में जे. लाफॉय (स्नोडी बनाम। मावरोडिस [2013] आई. ई. एच. सी. 285) यह देखते हुए कि आदर्श कानून का अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) में निहित एक संबंधित प्रावधान पर आधारित था

न्यूयॉर्क कन्वेंशन (मान्यता पर कन्वेंशन और

10 जून, 1958 को न्यूयॉर्क में किए गए विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों का प्रवर्तन, जो अनुच्छेद 5 (1) (सी) था। जे. लाफॉय ने आगे कहाः

" जैसा कि लेसोथो हाइलैंड्स में लॉर्ड स्टेन ने बताया था

विकास बनाम। इम्प्रेगिलो एसपीए [2006] 1 एसी 221, एस। 68 में से

यू. के. मध्यस्थता अधिनियम 1996 न्यूयॉर्क के मॉडल पर बनाया गया था।

सम्मेलन और आदर्श कानून पर। इस पर विचार करते हुए

उस वैधानिक प्रावधान को लागू करने पर, लॉर्ड स्टेन ने विचार किया न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (c) में कहा गया है (p. 236):

' यह शक्ति या अधिकार की अधिकता के मामलों से संबंधित है

मध्यस्थ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुच्छेद V (1) (c) अंग्रेजी होना चाहिए।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय IWAYS AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संकीर्ण रूप से समझा जाता है और कभी भी एक रे की ओर नहीं ले जाना चाहिए

पुरस्कार के गुणों की जांच '।

लॉर्ड स्टेन ने अमेरिकी संघीय अदालतों के एक फैसले का हवाला दिया

उस अंतिम प्रस्ताव के लिए प्राधिकारः पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज को. आई. एन. सी. बनाम सोसाइटी जनरल ऑफ द इंडस्ट्री डु

पापियर, (1974) 508 एफ. 2 डी 969 (दूसरा परिपथ)। की सीमाएँ

मध्यस्थता को अलग रखने के लिए अधिकार क्षेत्र की अधिकता का आधार मेरे विचार में, निम्नलिखित परिच्छेद द्वारा स्पष्ट रूप से घर लाया गया है

पार्सन्स मामले में न्यायाधीश स्मिथ की राय से जहाँ उन्होंने कहा गयाः

' हालांकि कन्वेंशन मानता है कि एक पुरस्कार हो सकता है

जहाँ किसी विषय पर आधारित हो वहाँ लागू नहीं किया जाएगा

दूसरा-पक्षकारों के मध्यस्थ के निर्माण का अनुमान लगाना ' समझौता। अपीलार्थी का इस बचाव का आह्वान करने का प्रयास,

हालाँकि, न्यायालय से इस सीमा को नजरअंदाज करने का आह्वान करता है

निर्णय लेने की शक्तियाँ और मध्यस्थ की भूमिका को हड़पना। "

(पैरा में जे. लाफॉय के अनुसार। 33 , पीपी। 15 - 16) . ”

41. स्नोडी में जे. लैफॉय के ये कथन (स्नोडी बनाम। मावरोदिस

[2013] आई. ई. एच. सी. 285) को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया और उसके बाद डेलार्गी में जे. गैलिगन (डेलार्गी बनाम। हिकी [2015] आई. ई. एच. सी. 436)

(पैरा में। 31 , पीपी। 13 - 14 और पैरा। 65 , पीपी। 33 - 34) . ये मामले

स्पष्ट करें कि एक धारणा है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण

अन्यथा पुरस्कार को अलग रखने की मांग करने वाली पार्टी के पास है इस जमीन पर।

(मूल में जोर)

गोवा राज्य बनाम। प्रवीण एंटरप्राइजेज, (2012) 12 एससीसी 581

एन एंटरप्राइजेज], इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि "संदर्भ" का क्या अर्थ है

यह इस प्रकार हैः

0. " मध्यस्थता का संदर्भ "विभिन्न कृत्यों का वर्णन करता है। संदर्भ

मध्यस्थता स्वयं पक्षों द्वारा या किसी नियुक्ति द्वारा की जा सकती है।

मध्यस्थता समझौते में या एक पर एक अदालत द्वारा नामित थोरिट मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष द्वारा अभियोग। हम कर सकते हैं

बंद कर देंः

(क) यदि एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि अनुबंध से संबंधित पक्षों के बीच सभी विवाद (कुछ समझौते कुछ अपवादों को संदर्भित कर सकते हैं) को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।

और यह कि मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, विचार किया गया "संदर्भ" पक्षकारों का कार्य है

मध्यस्थता समझौता, विवादों को निपटाने के लिए उनके विवादों को एक सहमत मध्यस्थ को संदर्भित करना। (ख) यदि एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, उसमें नामित एक प्राधिकरण

मध्यस्थ को नामित करेगा और उन विवादों को निर्दिष्ट करेगा जो

मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है, "संदर्भ"

विचार किया गया नियुक्ति प्राधिकारी का एक कार्य है जो विवादों को उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भित करता है।

(ग) जहां पक्ष मध्यस्थता समझौते द्वारा आवश्यक मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति में सहमत होने में विफल रहते हैं, या मध्यस्थता समझौते में नामित प्राधिकरण विफल रहता है

मध्यस्थता समझौते द्वारा आवश्यक मध्यस्थता, एक पीड़ित पक्ष द्वारा एक आवेदन पर, अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकती है और ऐसी नियुक्ति पर, मध्यस्थता समझौते के बीच विवाद पक्षकारों को इस तरह के मध्यस्थ के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है

मध्यस्थता समझौता।

11. मध्यस्थता का संदर्भ सभी विवादों के संबंध में हो सकता है।

पक्षकारों के बीच या किसी अनुबंध के संबंध में सभी विवाद

विशिष्ट गणना किए गए विवादों का सम्मान। जहाँ "सभी विवाद"

निर्दिष्ट किए जाते हैं, मध्यस्थ के पास अभिवचनों (दावे और प्रतिवाद दोनों) में उठाए गए सभी विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है, बशर्ते कि -

मध्यस्थता समझौते द्वारा रखी गई कोई भी सीमाएँ। कहाँ का

विशिष्ट संदर्भ द्वारा सीमित और मध्यस्थ कर सकता है केवल उन विशिष्ट विवादों का निर्णय लें।

42. उपरोक्त अधिकारियों का एक पर्यवेक्षक बताएगा कि कहाँ

बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक पुरस्कार दिया है जो या तो सैंग्योंग इंग्लैंड के मामलों का फैसला करता है।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे या मध्यस्थता न्यायाधिकरण को संदर्भित विवादों से परे, जैसा कि प्रवीण एंटरप्राइजेज में समझा गया है। (ऊपर), यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता पुरस्कार ने मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय लिए थे।

43. इसलिए हम उपरोक्त अधिकारियों का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि अनुबंध की गलत व्याख्या और इसके परिणामस्वरूप "अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों" की आड़ में यह कहना संभव नहीं है कि मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होगा यदि अन्यथा उपरोक्त कहा गया है।

गलत व्याख्या (जिसमें अनुबंध की शर्तों से परे जाना शामिल होगा), को मध्यस्थता समझौते के भीतर "विवादों" के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता है, या जिन्हें मध्यस्थों के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था जैसा कि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा समझा गया था। यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर भटकने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होगी। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) से संबंधित पिछले दरवाजे के आधारों को धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों में लाना अनुमत नहीं होगा क्योंकि इस आधार को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और इसलिए अर्थ, केवल उन मामलों को संदर्भित करना चाहिए जो मध्यस्थता समझौते से परे हैं या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ से परे हैं।

44. "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ" अभिव्यक्ति का उल्लेख धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (iii) के स्पष्टीकरण 1 में मिलता है। यहाँ फिर से, जिसका उल्लेख किया गया है, वह मूल रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से, कुछ मौलिक सिद्धांत है। न्याय का जो उल्लंघन किया गया है, और जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। इस प्रकार, पार्सन्स (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया थाः

" 7. कन्वेंशन का अनुच्छेद V (2) (b) अदालत को अनुमति देता है जिसमें

विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन को अस्वीकार करने की मांग की जाती है प्रतिवादी के प्रस्ताव या स्वतः प्रवर्तन पर, यदि

' पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

(मंच) देश का। ' प्रावधान का विधायी इतिहास इसके निर्माण के लिए कोई निश्चित दिशानिर्देश प्रदान नहीं करता है। में इसके अग्रदूत

जिनेवा सम्मेलन और 1958 सम्मेलन का तदर्थ समिति के मसौदे ने सार्वजनिक नीति के अपवाद को बढ़ाया,

क्रमशः, 'कानून के सिद्धांतों' और पुरस्कारों के विपरीत पुरस्कार

'कानून के मौलिक सिद्धांतों' का उल्लंघन।

भाषा रक्षा के संकुचित होने का प्रतीक है [कोंटिनी, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 8 Am.J.Comp। एल. 283,304]। दूसरी ओर, क्षेत्र में एक अन्य प्रसिद्ध प्राधिकरण ने इस पर कब्जा कर लिया है

रक्षा को व्यापक बनाने के इरादे के संकेत के रूप में चूक

[क्विगली, विदेशी मध्यस्थता की मान्यता और प्रवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रवेश पुरस्कार, 70 येल एल. जे. 1049,1070-71 (1961)]।

8. हालाँकि, शायद अधिक संभावित निष्कर्ष हैं

प्रवर्तन में पहले से मौजूद बाधाओं को दूर करें। [स्ट्रॉस को देखें, बहुराष्ट्रीय निगमों के बीच विवादों का मध्यस्थता

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नई रणनीतियाँ

विवाद 114-15 (1971); अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद सम्मेलन की कार्यवाही का डाइजेस्ट, 14 अप्रैल, 1971,191 पर (प्रोफेसर डब्ल्यू. रीज़ की टिप्पणी)। इसके अतिरिक्त, पारस्परिकता के विचार-कन्वेंशन में ही व्यक्त मान्यता दिए गए विचार-अदालतों को सलाह देते हैं कि वे सार्वजनिक नीति बचाव को सावधानी के साथ लागू करें ताकि विदेशी अदालतें इसे अक्सर प्रवर्तन के बचाव के रूप में स्वीकार न करें।

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए मध्यस्थ पुरस्कार।

9. इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्मेलन की सार्वजनिक नीति

रक्षा को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। विदेशी प्रवर्तन मध्यस्थता पुरस्कारों को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है जहां

प्रवर्तन फोरम राज्य की नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेगा। [संघर्ष का दूसरा पुनर्कथन

नियम 117, टिप्पणी सी, 340 (1971) पर; लॉक्स बनाम। मानक तेल कंपनी,

224 एन. वाई. 99,111,120 एन. ई. 198 (1918)]। डोंगवू मान + हम्मेल कं. लिमिटेड बनाम। मान + हम्मेल

एच, [2008] एस. जी. एच. सी. 67, सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" 131. पीटी असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो) बनाम डेक्सिया बैंक एसए [2007] 1 एसएलआर 597 ("पीटी असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो)"),

अपील न्यायालय ने समझाया कि संघर्ष क्या होगा

सार्वजनिक नीति के साथ ([57] और [59] पर):

एंगियोंग अंग्रेज़ी। & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय IWAYS AUTH। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

57. ..... अधिनियम के तहत विधायी नीति अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में आकस्मिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए है। एक मध्यस्थ निर्णय में की गई कानून या तथ्य की त्रुटियां, अपने आप में, अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं और अधिनियम की धारा 24 और आदर्श कानून के अनुच्छेद 34 के तहत निर्धारित स्थितियों को छोड़कर किसी अदालत द्वारा उनके खिलाफ अपील या खारिज नहीं किया जा सकता है। ..... वर्तमान संदर्भ में, कानून या तथ्य की त्रुटियां, अपने आप में, मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 (2) (बी) (ii) के तहत सिंगापुर की सार्वजनिक नीति को शामिल नहीं करती हैं, जब उन्हें मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) के तहत अलग नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

59. यद्यपि राज्य की सार्वजनिक नीति की अवधारणा को अधिनियम या आदर्श कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, न्यायिक और विशेषज्ञ राय की सामान्य सहमति यह है कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक नीति एक संकीर्ण दायरे को शामिल करती है। हमारे विचार में, यह केवल उन उदाहरणों में काम करना चाहिए जहां एक मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रखने से "विवेक को झटका लगेगा" (डाउनर कनेक्ट देखें ([58])

ऊपर) पर [136]), या "स्पष्ट रूप से सार्वजनिक भलाई के लिए हानिकारक है जो पूरी तरह से सामान्य के लिए आक्रामक है जो उचित और पूरी तरह से उचित है।

या

246 254 पर, सर जॉन डोनाल्डसन एम. आर. के अनुसार), या जहां यह नैतिकता और न्याय की मंच की सबसे बुनियादी धारणा का उल्लंघन करता हैः पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक बनाम सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पापियर (आर. ए. के. टी. ए.) 508 एफ 2 डी, 969 (दूसरा सिर, 1974) 974 पर देखें। यह अवधारणा के अनुरूप होगा सार्वजनिक नीति जिसे प्रारंभिक सामग्री से लेकर मॉडल कानून तक निर्धारित किया जा सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है

आयोग की रिपोर्ट (ए/40/17), पैरा 297 पर (ए गाइड टू द UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल में संदर्भित)

वाणिज्यिक मध्यस्थताः विधायी इतिहास और

914 में हावर्ड एम होल्ट्ज़मैन और जोसेफ ई न्यूहॉस (क्लूवर, 1989) द्वारा टिप्पणीः

'सार्वजनिक नीति' शब्द की चर्चा करते हुए यह समझा गया था

कि यह राजनीतिक रुख के बराबर नहीं था या किसी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ लेकिन इसमें शामिल हैं -

न्याय की मूलभूत धारणाएँ और सिद्धांत। यह था।

यह समझ में आया कि 'सार्वजनिक नीति' शब्द, जिसका उपयोग 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन और कई अन्य संधियों में किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून और न्याय के मौलिक सिद्धांतों को शामिल किया गया मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक संबंध। इस प्रकार, उदाहरण

जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वत या धोखाधड़ी और इसी तरह के गंभीर मामले।

मामले अलग रखने के लिए एक आधार बनेंगे।

(मूल में जोर)

132. प्रोफाइलेटी इटालिया एसआरएल बनाम पेन वेबर इंक [2001] 1

लॉयड के प्रतिनिधि 715 ("प्रोफिलाटी"), मूर-बिक जे ने निम्नलिखित बनायाः इस तर्क के संबंध में टिप्पणियाँ कि गैर-प्रकटीकरण

सामग्री दस्तावेजों में सार्वजनिक नीति का उल्लंघन किया गया

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 68 का संदर्भ (पर [17],

[19] और [26]):

17. ..... जहाँ कहा जाता है कि सफल दल ने खरीद की है

पुरस्कार इस तरह से जो सार्वजनिक नीति के विपरीत है

आम तौर पर न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि कुछ रूप उसकी ओर से निंदनीय या असहनीय आचरण है

में एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीके से योगदान दिया

उसका उपकार। इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि अदालत को ऐसा करना चाहिए

इस धारा के तहत हस्तक्षेप करने के लिए जल्दी करें [यानी, धारा 68 (2) (जी) मध्यस्थता अधिनियम 1996]। जिन मामलों में एस। 68 ऐसा है

अब तक माना जाता है कि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि

केवल चरम मामलों में काम करने का इरादा। XXX XXX XXX

19. जहाँ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए

खुलासा किया गया है जानबूझकर रोक दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप

इसे रोकने वाली पार्टी ने उनके पक्ष में एक पुरस्कार प्राप्त किया है न्यायालय अच्छी तरह से विचार कर सकता है कि उसने उस पुरस्कार को प्राप्त किया

सार्वजनिक नीति के विपरीत। आखिरकार, ऐसा आचरण है

धोखाधड़ी से बहुत दूर नहीं।

XXX XXX XXX

26. भले ही देने में जानबूझकर विफलता हुई हो विचाराधीन दो दस्तावेजों का खुलासा अभी भी होगा

प्रोफिलाटी के लिए अदालत को संतुष्ट करना आवश्यक था कि उसे नुकसान हुआ था इसके परिणामस्वरूप भारी अन्याय हुआ "।

और अंत में, बाज वी में। बीबीए और ओआरएस। , [2018] सिंगापुर के यू. आर. टी. एस. जी. एच. सी. 275 ने कहाः

सैंग्योंग इंग. & कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय आई. जी. एच. डब्ल्यू. ए. एस. ऑथ। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रवर्तन का दायरा बहुत कम है। अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आधार केवल उन मामलों में सफल होना चाहिए जहां मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रखने या लागू करने से "अंतरात्मा को झटका लगेगा", या "सार्वजनिक भलाई के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक होगा या. जनता के सामान्य उचित और पूरी तरह से सूचित सदस्य के लिए पूरी तरह से आक्रामक होगा", या "नैतिकता और न्याय की मंच की सबसे बुनियादी धारणा" का उल्लंघन होगा। (पीटी असुरान्सी जासा इंडोनेशिया (पर्सेरो) बनाम डेक्सिया बैंक एसए [2007] 1 एसएलआर (आर) 597 ("पीटी असुरान्सी") पर [59])। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड बनाम हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कंपनी लिमिटेड [2010] 3

आयोग की रिपोर्ट में पैरा 297 में कहा गया है कि सार्वजनिक नीति शब्द में "न्याय की मौलिक धारणाएं और सिद्धांत शामिल हैं", और यह समझा गया कि इस शब्द में "मूल के साथ-साथ प्रक्रियात्मक मामलों में कानून और न्याय के मौलिक सिद्धांत शामिल हैं"। 1985 की संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट आगे बताती है कि कला 34 (2) (ख) (ii) आदर्श कानून की "व्याख्या इस रूप में नहीं की जानी चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने के तरीके से संबंधित उदाहरणों या घटनाओं को अलग किया गया है"।

157. यह स्पष्ट है कि कानून या तथ्य की त्रुटियां, अपने आप में, शामिल नहीं होती हैं।

मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 (2) (बी) (ii) के तहत सिंगापुर की सार्वजनिक नीति जब उन्हें मॉडल कानून के अनुच्छेद 34 (2) (ए) (iii) के तहत अलग नहीं किया जा सकता है, इस अपवाद के साथ कि

सिंगापुर की सार्वजनिक नीति क्या है, यह तय करने की अदालत की न्यायिक शक्ति को निरस्त नहीं किया जा सकता है (ए. जे. यू. बनाम ए. जे. टी. [2011] 4 एस. एल. आर. 739 (ए. जे. यू. बनाम ए. जे. टी.) पर [62])। .....

XXX XXX XXX

159. ..... यह संतुलन आम तौर पर मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने की नीति के पक्ष में होता है, और केवल जवाबी सार्वजनिक नीति के पक्ष में झुकता है जहां उस नीति का उल्लंघन "विवेक को झकझोर देगा" या "नैतिकता और न्याय की मंच की सबसे बुनियादी धारणा" के विपरीत होगा। यह निर्धारित करने में कि क्या संतुलन प्रतिकूल सार्वजनिक नीति की ओर झुकता है, यह महत्वपूर्ण है [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक नीति की विषय प्रकृति दोनों पर विचार करने के लिए, डिग्री

उस सार्वजनिक नीति का उल्लंघन और इसके परिणाम

उल्लंघन "।

(जोर दिया गया)

45. चुनौती के इन मापदंडों को देखते हुए, आइए अब हम इसकी जांच करें

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील की दलीलें। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिन सरकारी दिशानिर्देशों को संदर्भित किया गया था और जिन पर बहुमत के निर्णय द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया था, वे संयोजन कारक पर पहुंचने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष कभी भी साक्ष्य में नहीं थे। वास्तव में, न्यायाधिकरण स्वयं उक्त दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है और कहता है कि वे एक निश्चित वेबसाइट पर पाए जाते हैं। अपीलार्थी द्वारा धारा 34 याचिका में स्पष्ट रूप से लिया गया आधार इस प्रकार हैः

" यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस तरह के कोई दिशा-निर्देश नहीं औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा अभिलेख पर दाखिल किया गया था

पक्षकारों में से कोई भी और इसलिए, न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

उसके सामने मुद्दे का निर्णय लेते समय उसी पर भरोसा करना।

तदनुसार, विवादित पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है।

46. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भी सहमति व्यक्त की कि ये

वास्तव में, मध्यस्थता कार्यवाही में दिशानिर्देशों का खुलासा कभी नहीं किया गया था। यह मामला होने के कारण, और ऊपर उद्धृत अधिकारियों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता सीधे प्रभावित होगा क्योंकि वह अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ होगा, उन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता या व्याख्या पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अपीलार्थी इस तर्क पर पूर्वाग्रह के बिना तर्क दे सकता था कि नई श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए तीन तरीकों में से दूसरी या तीसरी विधि पहली विधि से बेहतर होगी, जिसे बहुमत पुरस्कार ने अपने दम पर लागू किया है। इस कारण से, धारा 34 (2) (ए) (iii) के तहत बहुमत पुरस्कार को अलग रखने की आवश्यकता है।

47. जहाँ तक यह तर्क है कि एक नया अनुबंध किया गया था

पक्षकारों के लिए बहुमत पुरस्कार द्वारा, अपीलार्थी की सहमति के बिना, समझौते के बाहर एक सूत्र लागू करके, दिनांकित परिपत्र 15.02.2013 के अनुसार, जिसे स्वयं अपीलार्थी की सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता था, हमारा विचार है कि धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत यह आधार उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारे द्वारा विस्तार से चर्चा किए गए अधिकारियों को देखते हुए। यह कहना पर्याप्त है कि अपीलार्थी

ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि एसएसएएनजीओएनजी के बाहर सूत्र को लागू करके एक नया अनुबंध किया जा रहा था।

& कॉन्स्ट। सीओ। लिमिटेड। वी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत सरकार (एन. एच. ए. आई.) [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पार्टियाँ। इस मामले में, यह तर्क प्राप्त नहीं होगा और परिणामस्वरूप धारा 34 (2) (ए) (iv) आकर्षित नहीं होगी। 48. हालाँकि, जब "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" पर आधारित भारत की सार्वजनिक नीति के तर्क की बात आती है, तो यह स्पष्ट है कि यह आधार

बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही आकर्षित किया जा सकता है जब न्याय की मौलिक धारणाओं या सिद्धांतों के उल्लंघन से न्यायालय की अंतरात्मा स्तब्ध है। यह देखा जा सकता है कि समझौते द्वारा लागू किया गया फॉर्मूला फरवरी, 2013 तक लागू रहा-संक्षेप में, यह कहना सही नहीं है कि 1993 से आधार सूचकांकों में मंत्रालय के बदलाव के कारण समझौते के तहत फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सका

94 2004-05 तक। इसके अलावा, एक जोड़ने वाले कारक को लागू करने के लिए, एक पक्ष द्वारा एकतरफा रूप से जारी एक परिपत्र, संभवतः दूसरे पक्ष को उस दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समझौते के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वास्तव में, परिपत्र स्वयं स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि यह तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ठेकेदार एक वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं कि परिपत्र के तहत मूल्य समायोजन उन्हें स्वीकार्य है। हमने देखा है कि कैसे अपीलार्थी ने इस तरह का वचन केवल सशर्त और अपने इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिया कि परिपत्र लागू नहीं होता है और लागू नहीं हो सकता है। इस मामले में, यह है स्पष्ट करें कि बहुमत पुरस्कार ने उक्त एकतरफा परिपत्र को लागू करके और समझौते के तहत एक व्यवहार्य सूत्र को एक अन्य सूत्र डी हॉर्स समझौते द्वारा प्रतिस्थापित करके पक्षों के लिए एक नया अनुबंध बनाया है। यह मामला होने के कारण, न्याय के एक मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, अर्थात्, किसी अनुबंध का एकतरफा जोड़ या परिवर्तन कभी भी किसी अनिच्छुक पक्ष पर नहीं थोपा जा सकता है, और न ही समझौते का कोई पक्ष ऐसा कर सकता है

एक सौदा करने के लिए उत्तरदायी जो दूसरे पक्ष के साथ नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से, इस तरह का आचरण इस देश में पालन किए जाने वाले न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा, और इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देगा। हालाँकि, हम दोहराते हैं कि यह आधार केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में उपलब्ध है, जैसे कि वर्तमान मामले में तथ्य की स्थिति। किसी भी परिस्थिति में कोई भी न्यायालय मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

इस आधार पर कि न्यायालय की राय में न्याय नहीं किया गया है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह विवाद के गुण-दोष में प्रवेश होगा जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के लोकाचार के विपरीत है, जैसा कि इस निर्णय में पहले उल्लेख किया गया है।

49. एकल न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों को दरकिनार कर दिया जाता है। नतीजतन, बहुमत पुरस्कार भी अलग रखा जाता है। 1996 के अधिनियम की धारा 34 की योजना के तहत, बहुमत निर्णय द्वारा तय किए गए विवादों को नए सिरे से किसी अन्य मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा। यह काफी देरी का कारण बनेगा और 1996 के अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक के विपरीत होगा, अर्थात् अधिनियम के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा विवादों का त्वरित समाधान। इसलिए, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का उपयोग करते हुए, और

इस तथ्य को देखते हुए कि एक अल्पमत पुरस्कार है जो पक्षकारों के बीच समझौते में उल्लिखित सूत्र के आधार पर अपीलार्थी को अपने दावे का पुरस्कार देता है, हम अल्पमत पुरस्कार को बरकरार रखते हैं, और कहते हैं कि यह पुरस्कार, ब्याज के साथ, अब पक्षों के बीच निष्पादित किया जाएगा। पैराग्राफ 11 और 12 में अल्पसंख्यक पुरस्कार इस प्रकार हैः

" 11. इसलिए मैं दावेदार के दावे को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं।

12. लागत-पार्टियों को कोई राशि नहीं दी जाती है। प्रत्येक पक्ष करेगा

अपनी लागत खुद वहन करें।

विद्वान मध्यस्थों के समक्ष अपने दावे के विवरण में अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए राहतों को देखते हुए, अपीलार्थी को जो दिया जाता है, वह अनुबंध के उप-खंड 70.3 के तहत देय मूल्य समायोजन के लिए, सितंबर 2010 से मई 2014 तक अनुबंध के तहत किए गए काम के लिए, साथ ही 10 प्रतिशत की दर से ब्याज, भुगतान की नियत तारीख से पुरस्कार की तारीख तक मासिक चक्रवृद्धि, यानी, 02.05.2016, और भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष (सरल) की दर से भविष्य का ब्याज है।

50. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे